

**नए/प्रयुक्त व्यवसायिक वाहन/उपकरण/मशीनरी और
पुनर्वित्त की खरीद के लिए ऋण सह दृष्टि बंधन करार**

दस्तावेज जाँच सूची

क्रमांक	अनिवार्य दस्तावेजों का विवरण	कृपया टिक करें
1	समझौता	
2	ऋण सारांश अनुसूची	
3	मांग वचन पत्र	
4	ऋण के संवितरण के लिए निर्देश	
5	नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण संवितरण के लिए आवेदन पत्र	
6	समर्पण पत्र	
7	उपकरण के विवरण का खुलासे वाला ऋणी पत्र फार्म	
8	आरटीओ फार्म	
	i. फार्म टीसीआर (पुस्तिका में रखा जाए)	
	ii. फार्म 20 (प्रतिलिपि में बनाए रखा जाए)	
	iii. फार्म 26 (प्रतिलिपि में)	
	iv. फार्म 27 (प्रतिलिपि में)	
	v. फार्म 28 (प्रतिलिपि में)	
	vi. फार्म 29 (प्रतिलिपि में)	
	vii. फार्म 30 (प्रतिलिपि में)	
	viii. फार्म 34 (प्रतिलिपि में)	
	ix. फार्म 35 (प्रतिलिपि में)	

अतिरिक्त आवश्यकता दस्तावेज

(प्रारूप फर्स्ट कैपिटल इंटरनेट साइट पर उपलब्ध हैं)

क्रमांक	विवरण	आवश्यकता दस्तावेज	कृपया टिक करें
9	यदि <u>मालिकाना फर्म</u> का ऋण प्रस्तावित किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> अपने लेटरहेड पर मालिकाना पत्र 	
10	यदि <u>भागीदारी फर्म</u> का ऋण प्रस्ताव किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> प्राधिकार पत्र फार्म भागीदारी फर्म अपने लेटरहेड पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया हो 	
11	यदि <u>लिमिटेड देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी)</u> का ऋण प्रस्ताव किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> प्राधिकार पत्र फार्म भागीदारी फर्म अपने लेटरहेड पर सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया हो 	
12	यदि कंपनियों का ऋण प्रस्ताव किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> कंपनियों के लेटर हेड पर बोर्ड का मत 	
13	यदि संस्था/संगठन का ऋण प्रस्ताव किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> उधार लेने के लिए संस्था/संगठन का मत 	
14	यदि एक <u>हिंदू अविभाजित परिवार</u> का ऋण प्रस्ताव किया गया है	<ul style="list-style-type: none"> एचयूएफ के सदस्यों से प्राधिकार पत्र अपने लेटर हेड सभी हमवारिस द्वारा किए गए हस्ताक्षर 	

ऋण सह दृष्टि बंधन करार

यह ऋण सह दृष्टि बंधन करार ("समझौता") दिन, महीने और वर्ष पर किया जाता है जैसा कि ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित किया गया है।

मध्य में

ऋणी, का विवरण विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित किया गया है जो इस समझौते के साथ संलग्न है और, जहाँ भी संदर्भ को आवश्यकता हो, उसमें एक सह ऋणी का नाम दिया गया है और सम्मिलित रूप से (यदि वहाँ एक से अधिक ऋणी हैं जिन्हें "ऋणी" कहा गया है जो अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल, शामिल करने के लिए समझा जाएगा, जहाँ ऋणी एक व्यक्ति है, उसके वारिस हैं, निष्पादक और प्रशासक हैं, जहाँ ऋणी एक एकमात्र औचित्य फर्म हैं, व्यक्ति जिसका नाम एकमात्र मालिक के रूप में प्रकट होता है और उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि और अनुमति प्राप्त लोग शामिल हैं; जहाँ ऋणी एक भागीदारी फर्म है, भागीदार या दी हुई भागीदारी फर्म के भागीदार, उनके उत्तरजीवी और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक; जहाँ ऋणी एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता है, उस हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य और उनके संबंधित वारिस, निष्पादक और प्रशासक और नियुक्त व्यक्ति; जहाँ ऋणी एक कंपनी है, उसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति; जहाँ ऋणी गैर संयुक्त निकाय है, ऐसे निकाय के सभी सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी; जहाँ ऋणी एक संस्था है, तो प्रबंध निकाय और प्रबंध निकाय के सदस्यों से संबंधित उत्तराधिकारी और निर्वाचित नए सदस्य को, नियुक्त या सहयोजित, जहाँ ऋणी एक संगठन है, संरक्षक और संगठन के उत्तराधिकारी और जहाँ ऋणी एक लिमिटेड देयता भागीदारी है, तो भागीदार या लिमिटेड देयता भागीदारी, भागीदार और वारिस, भागीदारों के निष्पादक और प्रशासक और फर्म के उत्तराधिकारी और उनके नियुक्त व्यक्ति) एक भाग हैं

और

फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु में है, और अन्य बातों के साथ एक शाखा कार्यालय ऋण सारांश अनुसूची (बाद में "FICCL" कहा जाता है) में उल्लेखित अन्य भाग है।

किसी भी लिंग के संदर्भ में सभी लिंग शामिल होंगे और एक संख्या के संदर्भ में बहुवचन संख्या के संदर्भ और इसके संदर्भ के विपरीत शामिल होंगे।

जबकि:

- ऋणी FICCL को ऋणी को ऋण सारांश अनुसूची में दिए गए उद्देश्य के लिए अग्रिम में ऋण देने का अनुरोध करता है;
- ऋणी द्वारा दी गई प्रस्तुती और प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर होना, FICCL ऋणी को यहां दिए गए नियमों और शर्तों के आधार पर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह समझौता साक्षी है और यह एतद्वारा सहमत और घोषित किया जाता है:

अनुच्छेद 1

परिभाषा

"समझौता" का अर्थ है ऋण सह दृष्टि बंधन करार, ऋण सारांश अनुसूचियां, यहाँ संलग्न खर्चों की शीट और कोई भी पूरक अनुसूचियां, चुकोती अनुसूची, अभी संलग्न अनुबंध- या संलग्न अनुबंध जो इस समझौते भाग के रूप में अब या बाद में जुड़ता है, समय समय पर कोई भी अन्य अनुबंध, प्रमाण या अन्य अनुशेष अब या बाद में इस समझौते में जोड़े जाते हैं।

"आवेदन" का अर्थ है ऋण आवेदन जिसके साथ ऋणी द्वारा FICCL से ऋण सुविधा का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए समर्थन दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

"अतिरिक्त ब्याज" का अर्थ है किश्त की नियत दिनांक के बाद भुगतान की देरी के लिए खर्च।

"इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवाएं" या "डेबिट क्लियरिंग" या "ईसीएस" का अर्थ है रिजर्व बैंक आफ इंडिया की डेबिट क्लियरिंग सेवाएं, किश्तों के भुगतान की सुविधा के रूप में ऋणी द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है जो ऋण सारांश अनुसूची में विशेष रूप से दिया गया है।

"उपकरण" का अर्थ है वाहन, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी, जैसा भी मामला हो सकता है, और अधिक विशेष रूप से समझौते की ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित किया गया है, अधिग्रहण/क्रय जिसका FICCL द्वारा वित्त पोषण किया गया है।

"बराबर मासिक किस्तें" ("ईएमआई") का अर्थ है ऋणी द्वारा FICCL को ब्याज के रूप में हर महीने देय राशि या मूलधन और ब्याज और ऋण जैसा सारांश अनुसूची में दिया गया है।

"ऋण" का अर्थ है वह मूल राशि जो ऋण अनुसूची ऋण सारांश में दी गई है जिसके अनुसार FICCL ऋणी को उधार और अग्रिम दे सकता है, और जहाँ संदर्भ को आवश्यकता है, ऋण की बकाया राशि में मूल राशि सहित ब्याज और ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत देय राशि शामिल हैं।

"ऋण सारांश अनुसूची" का अर्थ है इस समझौता से जुड़ी अनुसूची, ऋण से संबंधित है और इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा होती है।

"व्यक्ति" में शामिल हैं लेकिन एक व्यक्तिगत, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी, कंपनी, संगठन, स्वामित्व फर्म, संस्था, हिंदू अविभाजित परिवार ("एचयूएफ") और व्यक्तियों के संघ तक सीमित नहीं है।

"पूर्व बराबर मासिक किश्त ब्याज" ("PEMII") का अर्थ है ऋणी द्वारा ऋण संवितरण की दिनांक/ प्राप्ति दिनांक से लेकर ईएमआई के प्रारंभ तक ऋण सारांश अनुसूची में दी गई ब्याज दर के अनुसार ऋण पर देय राशि।

"ब्याज की दर" या "ब्याज दर" का अर्थ है FICCL द्वारा ऋण पर लगी गई ब्याज दर।

"चुकोती अनुसूची" का अर्थ है मूलधन और ब्याज की राशि में भुगतान की अनुसूची और ऋण सारांश अनुसूची में विनिर्दिष्ट तारीखों।

"स्टैंडिंग निर्देश" ("एसआई") का अर्थ है ऋणी द्वारा बैंक को ऋणी के खाते में डेबिट करने के लिए अपने बैंक के लिए जारी किए गए लिखित निर्देश जिसमें ऋण के लिए FICCL को भुगतान के लिए किश्त के बराबर की राशि होती है जो विशेष रूप से ऋण सारांश अनुसूची में दी गई है।

खण्ड शीर्षक केवल संदर्भ में आसानी के लिए हैं और इस समझौते को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। इस समझौते में सांविधिक प्रावधान के लिए संदर्भ में किसी सांविधिक संशोधन के लिए संदर्भ या फिर से अधिनियमन शामिल होगा। शर्तों के संदर्भ हैं, जब तक अन्यथा कहा गया है, इस समझौते की शर्तों के संदर्भ।

अनुच्छेद 2

ऋण राशि और ब्याज

2.1 ऋण की राशि:

FICCL, ऋणी के अनुरोध पर, ऋणी को देने के लिए सहमत है और ऋणी FICCL से यहाँ दिए गए नियमों, शर्तों और कानूनों के आधार पर ऋण सारांश अनुसूची में दिए अनुसार मूल राशि से कम राशि उधार लेने के लिए सहमत है। ऋण सारांश अनुसूची इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा समझी जाएगी जो यहाँ दिया गया है या इस के साथ साथ विस्तृत है।

2.2 ब्याज:

- ऋणी समय-समय पर ऋण सारांश अनुसूची (लागू ब्याज कर को छोड़कर) में निर्दिष्ट दर पर अग्रिम ऋण की मूल राशि और बकाया पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज और अन्य शुल्क की वर्ष में तीन सौ पैंसठ (365) दिन के आधार पर गणना की जाएगी। ऋण पर ब्याज वास्तविक दैनिक बकाया राशि मासिक आधार के साथ गणना के आधार पर गणना की जाएगी, और ब्याज अगले रुपया में पूर्णांकित किया जाएगा। ऋण पर ब्याज ऋणी या उसके बैंक द्वारा ऋण संवितरण/ऋण के चेक जारी करने, ट्रांजिट, संग्रह, चेक की प्राप्ति की दिनांक से शुरू होगा।
- यद्यपि यहाँ निहित किसी के विपरीत होते हुए भी, FICCL लागू विनियमन को ध्यान में रखते हुए ब्याज की दर को ऊपर या नीचे संशोधित करने का हकदार होगा, पैसा बाजार की स्थितियों की स्थिति के अनुसार, ऋणयोग्य धन की उपलब्धता, और उसके संबंध में ऋणी की आगे कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी।
- ऋण पर लागू ब्याज टैक्स और अन्य लेवी समय-समय पर ऋणी द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य नियामक एजेंसी चाहे भारत में या विदेश में हो ऋणी मांग पर, FICCL को प्रतिपूर्ति या भुगतान करेगा, FICCL को देय कोई भी ब्याज कर या अन्य कर जो इस तरह के सरकारी अधिकारी या एजेंसी द्वारा लगाया गया हो या कोई अन्य राशि (और या PEMII सहित अन्य खर्च)।
- FICCL के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ब्याज के रूप में पूर्वोक्त और राशि ऋणी द्वारा देय होंगी जो नियत दिनांक पर ऋणी के ऋण खाते से लिया/डेबिट किया जाएगा और बकाया ऋण राशि का हिस्सा समझा जाएगा।

2.3 ऋण संवितरण:

- जब ऋणी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए ऋण सुविधा का लाभ लिया जाता है, तो ऋण सौधा निर्माता/डीलर या उपकरण के वितरक/मालिक को दिया जाता है और इस प्रकार निर्माता/डीलर या वितरक को FICCL द्वारा भुगतान किए गए सारे ऋण को ऋण दिया गया समझा जाएगा और ऋणी द्वारा लाभ लिया समझा जाएगा। जब ऋणी द्वारा स्वामित्व वाले उपकरण को बंधक के लिए ऋणी द्वारा ऋण का लाभ उठाया जा रहा है, तो ऋण की राशि के ऋणी को वितरित की जाएगी। ऋण की राशि FICCL द्वारा वितरित की जाएगी ऋणी को समझौते में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन करना होगा। ऋण को पूर्ण या किश्तों में या इस तरह के अन्य तरीके से वितरित करने के बारे में समय समय पर FICCL द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और इस संबंध में FICCL का निर्णय अंतिम निर्णायक और ऋणी पर बाध्यकारी होगा। ऋणी को सभी प्रारंभिक भुगतान पूर्व किश्त ब्याज, अग्रिम किश्त, प्रलेखन खर्च, ऋण प्रसंस्करण शुल्क, बीमा के लिए प्रीमियम (यदि लागू हो) आदि के नेट की ओर करने के लिए ऋण राशि वितरित की जाएगी। यदि FICCL द्वारा आवश्यक हुआ तो, ऋणी FICCL द्वारा अपेक्षित फार्म में, प्रत्येक संवितरण की प्राप्ति स्वीकार करेगा।

यद्यपि यहाँ निहित कुछ भी, ऋणी इस समझौते के समाप्त होने की दिनांक से 30 दिनों के भीतर ऋण का लाभ प्राप्त करेगा जिसमें FICCL ऋणी को ऋण अनुदान/चुकाने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा।

- जहाँ पर ऋण ऋणी द्वारा कई उपकरणों की खरीद के लिए ऋण का लाभ लिया गया है, यह ऋणी द्वारा विशेष रूप से समझा जाए और सहमति व्यक्त की जाए कि FICCL खरीदे/प्राप्त किए गए उपकरणों की संख्या के अनुसार लेखा सुविधा और उद्देश्यों के लिए, ऋण राशि को अलग उप खार्तों में उप-विभाजित करेगा।

2.4 ऋण के नियम:

ऋण के नियम यहाँ दी गई ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित किए जाएंगे।

2.5 संवितरण के लिए टर्मिनल तारीखें:

यद्यपि इस समझौते में किसी बात के होते हुए भी, FICCL, ऋणी को नोटिस के द्वारा भी ऋण संवितरण के ऋणी के अधिकार को समाप्त कर सकता है, यदि इस समझौता/स्वीकृति पत्र की दिनांक से 30 दिनों के भीतर या बढाई गई दिनांक में लिखित रूप में FICCL की सहमति से इस तरह के वितरण के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है।

अनुच्छेद 3

चुकोती/पूर्वभुगतान

3.1 चुकोती

- (a) ऋणी का अवधि की समाप्ति पर ऋण चुकाने के लिए दायित्व निरपेक्ष है। ऋणी ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित चुकोती अनुसूची के अनुसार ब्याज के साथ-साथ ऋण राशि को मासिक/तिमाही किश्तों में चुकाएगा। किश्तों की चुकोती के लिए नियत दिनांक ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित दिनांक के रूप में होगी। चुकोती अनुसूची किसी पूर्वाग्रह के बिना FICCL का भिन्नता के मामले में ब्याज की फिर से गणना करने का अधिकार है और इस तरह की फिर से गणना पर, ऋणी द्वारा विभिन्न चुकोती अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसके विपरीत इस समझौते में समाहित करने के लिए कुछ होते हुए भी, ऋण मांग पर प्रतिदेय होगा और FICCL को ऋण के संबंध में ब्याज सहित पूरी बकाया ऋण राशि का अन्य सभी बकाया राशि के साथ साथ मांग पर तत्काल भुगतान करना होगा।
- (b) यद्यपि उक्त अनुच्छेद 3.1(a) और चुकोती अनुसूची के अनुसार, FICCL को चुकोती अनुसूची की किसी भी समय या समय-समय पर समीक्षा करने और पुनर्निर्धारित करने का अधिकार होगा और इस तरह के तरीके में FICCL, अपने विवेकाधिकार में तय कर सकता है और चुकोती इस के बाद संशोधित चुकोती अनुसूची के अनुसार बनाई जाएगी।
- (c) ऋणी को ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित के रूप में अग्रिम में अग्रिम किश्तों की FICCL को भुगतान करना चाहिए या तो समझौते के निष्पादन के समय या उसके बाद के FICCL द्वारा निर्धारित किसी भी समय पर। अग्रिम किश्त को ऋण सारांश अनुसूची में निर्धारित तरीके के अनुसार किश्तों के विपरीत समायोजित किया जाएगा। FICCL अग्रिम किश्तों पर किसी भी तरह के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उक्त के अलावा, ऋणी अग्रिम में किश्तों का भुगतान कर सकते हैं; हालांकि FICCL अग्रिम किश्त भुगतान पर किसी भी ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (d) किश्तों के प्रारंभ तक, ऋणी लागू के रूप में हर महीने पूर्व बराबर मासिक किश्त ब्याज का मासिक भुगतान करेगा, और PEMII की ऐसी प्रत्येक मासिक चुकोती ऋण सारांश अनुसूची में दी गई ब्याज की दर के अनुसार होगी।
- (e) यदि ऋणी इसके अंतर्गत किसी भी वजह से राशि के भुगतान में चूक करता है, चाहे वह ऋण की बकाया राशि की चुकोती के माध्यम से या ऋणी द्वारा ब्याज के भुगतान के माध्यम से या किसी भुगतान की वजह से और देय के कारण, या ऋणी इस समझौते की किसी भी अन्य शर्त का उल्लंघन या चूक करता है या ऋण के संबंध में किसी भी अन्य साधन के तहत, ऋणी, बकाया राशि के संबंध में और ब्याज के संबंध में या डिफॉल्ट रूप में अन्य राशि, मासिक आधार पर या ऐसी अवधियों पर जो FICCL समय-समय पर लिखित रूप में सूचित कर सकता है, ऋण सारांश अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करता है जो भुगतान की दिनांक तक डिफॉल्ट की दिनांक तक होती है। ऋणी स्पष्ट रूप से सहमत है कि इस तरह के अतिरिक्त ब्याज की दर घटाने के ऋणी की ओर से इस तरह की देरी/चूक की वजह से FICCL द्वारा सामना करने की संभावना का एक उचित अनुमान है अतिरिक्त ब्याज का भुगतान ऋणी को समय पर भुगतान करने या और/या ऐसी चूक के संबंध में अन्य दायित्वों से दोषमुक्त नहीं करेगा या चूक के संबंध में FICCL के अन्य अधिकारों में से किसी को भी प्रभावित नहीं करेगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है कि उक्त अतिरिक्त है और FICCL स्पष्ट रूप से सभी अधिकार सुरक्षित रखता है यदि ऋणी द्वारा कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है। इसके अलावा और इस के साथ साथ ऊपर कहे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी डिफॉल्ट रूप से उत्पन्न किसी भी तरह की कीमत, शुल्क और खर्चों के लिए उत्तरदायी होगा जिसे FICCL को भुगतान करना पड़ सकता है।
- (f) ऋणी ऋण सारांश अनुसूची, खर्चा शीट और FICCL की वेबसाइट (<http://www.fullertonindia.com/about-us/loan-charges.aspx>) के निर्दिष्ट अनुसार फीस और खर्च सहन और FICCL को भुगतान करेगा, और जिसमें शामिल होगा, लेकिन प्रलेखन और प्रोसेसिंग शुल्क (गैर वापसीयोग्य), प्री-ईएमआई ब्याज (यदि लागू हो), और इस तरह के अन्य शुल्क जैसे कि चेक बाउंस शुल्क, चेक/ईसीएस स्वैप शुल्क, अतिरिक्त ब्याज, पूर्व भुगतान शुल्क और FICCL की आंतरिक नीतियों के अनुसार समय-समय पर लागू कोई भी फीस या शुल्क, सांविधिक शुल्क या अन्यथा, ऋण के संबंध में देय तक ही सीमित नहीं होगा। FICCL ऋणी को कोई भी सूचना दिए बिना ऊपरी शुल्क/खर्च में संशोधन करने का हकदार होगा। उक्त खर्च के अलावा ऋणी, FICCL को भुगतान और प्रतिपूर्ति, टैक्स, सर्विस टैक्स, शुल्क (स्टॉप शुल्क सहित), और करों (सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी भी विवरण के रूप समय-समय पर लगाया जा सकता है) से संबंधित सभी खर्च वहन करेगा और सभी अन्य लागत और खर्च संबंध में (क) ऋण के आवेदन और अनुदान और चुकोती के लिए (ख) ब्याज के साथ ऋण की वसूली और प्राप्ति, (ग) प्रवर्तन कार्यवाही, यदि कोई हो।
- (g) प्री-ईएमआई ब्याज, अग्रिम किश्त, बीमा प्रीमियम, प्रलेखन शुल्क, लेन-देन/प्रोसेसिंग शुल्क और/या ऋण के तहत या ऋण से संबंधित अन्य शुल्क को ऋण से काट लिया जाएगा और इस तरह की फीस और/या शुल्क की कटौती के बाद ही ऋण की शुद्ध राशि ऋणी को वितरित की जाएगी।
- (h) ऋणी ऋण की अवधि के दौरान सभी करों सहित (ब्याज और सर्विस टैक्स) लागू होने वाले या सरकार द्वारा या किसी सरकारी निकाय या प्राधिकरण द्वारा ऋण के संबंध में लगाया गए करों का भुगतान करेगा।
- (i) FICCL को ऋणी द्वारा किए गए सभी भुगतान किसी भी कटौती या किसी भी कर से स्वतंत्र होगा। यदि ऋणी ऐसी कटौती चाहता है, फिर, इस तरह के मामले, FICCL को देय राशि में इस हद तक वृद्धि की जाएगी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की कटौती करने के बाद, FICCL को इतनी राशी प्राप्त हो और बनाई जाए (इस तरह की कटौती के बिना किसी भी देनदारी के बिना) जो उसे इस तरह की कटौती किए बिना प्राप्त होती हो।
- (j) ऋणी मानता है और पुष्टि करता है कि वह जनता है और स्वीकार करता है कि सारी फीस, शुल्क आदि ऋणी द्वारा ऋणदाता को आवेदन के समय पर भुगतान किए जाएंगे और/या ऋण से संबंधित दस्तावेज की एक बार लागत और/या खर्च आते हैं या ऋणदाता द्वारा खर्च किया है लेकिन ऋण के संबंध में सोर्सिंग, सत्यापन और कानूनी खर्च तक सीमित नहीं है।
- (k) ऋणी सहमत, घोषित और इस बात की पुष्टि करता है कि अनुबंध अधिनियम या किसी अन्य कानून या नियम और शर्तों के प्रावधानों के किसी भी समझौते में निहित, और या किसी भी सुरक्षा दस्तावेज में निहित, कोई भी राशि FICCL द्वारा लिखित रूप में सहमति व्यक्त न होने पर निम्नलिखित तरीके से विनियोजित नहीं होगी:
1. सबसे पहले लागत, शुल्क, खर्च और अन्य पैसा, देय और FICCL को देय की ओर;
 2. दूसरे ब्याज देय और देय और/या एकत्रित देय और FICCL को देय और
 3. मूल राशि की किसी भी किश्त की चुकोती की ओर या देय या FICCL को देय की ओर।
- हालांकि बशर्ते कि FICCL किसी अन्य तरीके से प्राप्त धन को उचित करने का अधिकार सुरक्षित है जैसा की वह अपने विवेकाधिकार पर उचित समझे।

3.2 पोस्ट डेटेड चेक/ईसीएस/एसआई:

जहाँ ऋणी ऋण राशि और ब्याज की चुकौती के लिए ईसीएस/एसआई पोस्ट डेटेड चेक जारी करने के लिए सहमत हो गया है, पहले से ही ऋणी द्वारा प्राप्त करने के लिए ऐसे ईसीएस/एसआई चेक पर पर्याप्त विचार किया जाएगा। यदि ब्याज दर में बदलाव के परिणाम के रूप में, ईएमआई की संख्या या राशि में वृद्धि होती है, तो ऋणी झट से FICCL की मांग पर FICCL के पक्ष में नए ईसीएस/एसआई मंडेट/अतिरिक्त पोस्ट डेटेड चेक जारी करेगा। ऋणी भुगतान के लिए उनकी नियत दिनांक पर ईसीएस/एसआई/चेकों की वसूली के लिए पर्याप्त संतुलन बनाए रखेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमति है कि ऋणी किसी भी समय पर बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जहां ईसीएस/एसआई/चेक जारी किए गए हैं या ईसीएस/एसआई चेक के प्रस्तुतीकरण को रोकने के लिए बैंक को कोई भी आदेश नहीं देगा। ऋणी स्वीकार करता है कि जारी किए गए ईसीएस/एसआई/चेक के किसी भी तरह से अस्वीकृत होने पर ऋणी FICCL की आंतरिक नीतियों के अनुसार लागू के रूप में अस्वीकृत जैसी घटना के लिए ऋणी को अस्वीकृत होने के चेक के शुल्क का उत्तरदायी बनाएगा। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित और सहमति हुई है कि इस तरह के खर्च लगाना कानून के तहत FICCL के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, चाहे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत, भारतीय दंड संहिता, 1860 या अन्यथा कोई और हो। इसकी आगे भी यह आगे भी सहमति व्यक्त की गई और समझा जाता है कि किसी भी कारण के लिए FICCL की ओर से ईसीएस/एसआई/चेक या उनमें से किसी की गैर प्रस्तुति के लिए, किसी भी तरीके से ऋणी की देनदारी को प्रभावित नहीं करेगा। यदि ऋणी द्वारा इस खंड की शर्तों के अनुसार FICCL को ईसीएस/एसआई या पोस्ट डेटेड चेक FICCL के कब्जे से खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं; या मौत, दिवाला, पागलपन, प्राधिकरण या हस्ताक्षरकर्ता की समाप्ति या किसी एक या से अधिक हस्ताक्षरकर्ता (यदि एक से अधिक हों) की समाप्ति या अदाकर्ता बैंक के परिसमापन के कारण नकद करने के योग्य नहीं होता है; या FICCL के विवेकाधार पर किसी भी कारण से बदलने की आवश्यकता है, तो ऋणी FICCL से ऐसी सूचना की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर इस तरह के ईसीएस/एसआई/चेकों को नए ईसीएस/एसआई/चेकों के साथ स्थानापन्न/बदलेगा जो की पहली वाली राशि के ईसीएस/एसआई/चेकों की तरह देय हों। क्या ऋणी एक बैंक से दूसरे बैंक के लिए इंटरचेंज ईसीएस/एसआई/पोस्ट डेटेड चेक को स्वैप करना चाहता है, ऋणी समय-समय पर FICCL की लागू आंतरिक नीतियों के अनुसार FICCL स्वैप शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं।

3.3 पूर्व भुगतान:

ऋणी FICCL को लिखित रूप में FICCL को एक माह पूर्व सूचना देकर किसी भी समय बकाया ब्याज के साथ पूरे ऋण का पूर्व भुगतान कर सकता है। यदि ऋणी पूर्व भुगतान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करता है, तो FICCL ऋण सारांश अनुसूची में दी गई दर से पूर्व भुगतान शुल्क लेने का हकदार होगा।

कोई भी राशि जो प्रीपेड नहीं है ऋणी द्वारा पुनः उधार ली जाएगी।

3.4 भुगतान में देरी:

ऋणी किसी डिफॉल्ट के बिना और किसी दावे के बिना या संबंधित तारीखों के प्रति दावा जिस पर राशि देय है के बिना पूर्ण ऋण राशि और अन्य राशि का भुगतान करेगा। ऋणी को नियत दिनांक पर अपने दायित्व के बारे में ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए किसी नोटिस, सूचना या अनुस्मारक नहीं दिया जाएगा। FICCL के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत दिनांक के भीतर भुगतान में देरी के मामले में, FICCL ऋणी से अतिरिक्त ब्याज वसूल करेगा।

3.5 संयुक्त और कई होने की देयता:

जहाँ ऋणी और/या सह ऋणी के रूप में एक से अधिक व्यक्ति/संस्था को ऋण प्रदान किया जाता है तो, कुछ होते हुए भी इस के साथ साथ, ऋणी और सह ऋणी का ब्याज के साथ ऋण चुकाने के दायित्व के साथ-साथ और समझौते के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त और कई और सह व्यापक होगा।

3.6 इस खंड संख्या 3 के अधीन या इस समझौता में किसी भी अन्य खंड के अधीन देययोग्य कोई भी शुल्क FICCL द्वारा अपने विवेकाधिकार पर माफ किया जा सकता है और FICCL का निर्णय अंतिम होगा और ऋणी द्वारा किसी भी सहारे के बिना किया जाएगा।

3.7 यदि ऋणी FICCL को ऋण के तहत राशि से अधिक राशि में माफ/भुगतान करता है, तो FICCL ऐसी अधिक राशि के रिफंड के लिए FICCL द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रोसेसिंग शुल्क चार्ज करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अनुच्छेद 4

ऋण के वितरण से पूर्व शर्त

4.1 ऋण के संवितरण के लिए FICCL का दायित्व इस शर्त के अधीन होगा कि:

- ऋणी FICCL की साख की शर्त को पूरा करता हो। FICCL ऋणी की साख के लिए उचित करने के लिए FICCL इस तरह की प्रकृति की जांच किए जाने का हकदार होगा। FICCL ऋणी से इस तरह की साख के लिए कॉल के लिए हकदार होगा जो ऋणी की साख साबित करने के लिए आवश्यक हो सकता है।
- अनुच्छेद 8 में परिभाषित डिफॉल्ट की किसी भी घटनाओं के रूप में और कोई घटना जो, समय या नोटिस की त्रुटि के साथ और दिए अनुच्छेद में निर्दिष्ट के रूप में समय की चूक डिफॉल्ट की एक घटना बन जाएगी और जारी रहेगी।
- ऋणी संवितरण के लिए अनुरोध करने के समय FICCL को संतुष्ट करेगा जो कि उपकरणों की खरीद के लिए ऋणी द्वारा आवश्यक है और/या उपकरण के खिलाफ पुनर्वित्त ऋणी ऋण के प्रस्तावित उपयोग के लिए FICCL को संतोषजनक सबूत देगा।
- कोई असाधारण परिस्थितियों नहीं होंगी जो ऋण को जिस उद्देश्य के लिए लिया गया है और/या इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए ऋणी के लिए असंभव बनाएं।
- ऋणी FICCL के पक्ष में FICCL द्वारा आवश्यक रूप में ब्याज के साथ ऋण की चुकौती के लिए प्रतिभूति और या गारंटी प्रस्तुत करेगा।
- ऋणी FICCL की संतुष्टि अनुसार ऋण की मूल राशि के साथ सारा ब्याज, नष्ट हर्जाना, लागत, शुल्क और खर्च और अन्य सभी धन को सुरक्षित करेगा जो ऋणी द्वारा FICCL को देय और बकाया है, FICCL के पक्ष में ("दी गई प्रतिभूतियां") निम्नलिखित प्रतिभूतियों के द्वारा:

- i) ऋणी ऋण से उपकरण खरीदे/प्राप्त किए या खरीदे जाने/प्राप्त करने के माध्यम से बंधक के लिए पहला शुल्क पैदा करेगा, जो ऋणी के कब्जे में है या कब्जे में आ जाएगा और पूरक अनुसूची में सामान्य शब्दों में वर्णित के रूप में;
- (g) ऋणी FICCL की संतुष्टि के लिए AUR खंड 4.1 (एफ) में दिए अनुसार प्रतिभूति बना और परिपूर्ण कर सकते हैं और जैसा कि FICCL द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, सभी आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 5

सिक्क्यूरिटी

- 5.1 ऋणीयों को ऋण देने की अनुमति देने/ऋण देने में FICCL के प्रति ऋणी बकाया राशि की विशेष सिक्क्यूरिटी और ऋण की राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, डिफॉल्ट स्थिति में ब्याज, कमिशन, लागत, शुल्क, खर्च और और सभी राशियों, ऋणी द्वारा FICCL द्वारा मंजूर होने वाले/मंजूर हुए ऋण से संबंधित जो कोई भी बकाया हो, सहित राशि की चुकोती के रूप में प्रथम और विशेष भुगतान के तौर पर FICCL के पक्ष में शुल्क के लिए बंधक होते हैं, खरीदे गए/उधार लिए गए उपकरण/ऋण द्वारा खरीदे गए उपकरण, जिन पर ऋणी के कब्जे में हों या होने वाले हों और ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित सामान्य शर्तों के अनुसार (जिन्हें बाद में सामूहिक तौर पर "बंधक अधिसंपत्तियां" कहा जाता है)। दी गई बंधक अधिसंपत्तियों में ऋणीयों या किसी और द्वारा और ऋणीयों या किसी और की जिम्मेदारी पर और FICCL द्वारा स्वीकृत हुई न हुई कोई अनुवृद्धि, सुधार या संलग्नकों को बंधक अधिसंपत्तियों का भाग माना जाएगा और यह इस समझौते के नियम और शर्तों के अधीन होगा बिलकुल वैसे जैसे कि अनुवृद्धि/सुधार या संलग्नक बंधक अधिसंपत्तियां पूर्व गामी होती हैं।
- 5.2. यह बंधन इस समझौते पर या उपकरणों के वितरण पर, जो भी पहले हो, पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद होने के अधीन होगा। ऋणी ऋण से खरीदे गए उपकरणों की आपूर्ति का विवरण चालान की प्रति के साथ उपकरणों के वितरण के तीन दिनों के भीतर देते हैं। उक्त विवरण इस समझौते का हिस्सा और पार्सल बनाता है। यदि किसी स्थिति में बंधक उपकरणों को मोटर वाहन या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत वाहन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऋणी उपकरणों को रजिस्टर और पंजीकरण प्रमाण पत्र पर अनुमोदन प्राप्त करेंगे कि उपकरण "फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड" के तहत "बंधक समझौते सहित ऋण" के अधीन होते हैं। ऋणी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण से पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र की आपूर्ति करता है। दिए गए विवरण को इस समझौते का एक अभिन्न हिस्सा और पार्सल माना जाएगा। यदि ऋणी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पंजीकृत कंपनी हो, तो ऋणी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 125 के तहत कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत होने के साथ चार्ज बनाए जाने के लिए भी जिम्मेदार होता है।
- 5.3 ऋणी इससे भी सहमत होता है कि बंधक अधिसंपत्तियां सभी अन्य राशियों, जो ऋणी द्वारा उसकी प्रतिभूति या उसके साथ या अन्य व्यक्ति के साथ सह-बाध्यकार FICCL के लिए किसी भी तरह बकाया और देय, भले वर्तमान या भविष्य की हों, हो सकती हैं।
- 5.4 ऋणी इस पर सहमत होता है और FICCL के प्रति वचनबद्ध होता है कि FICCL का बंधक अधिसंपत्ति पर एक विशेष खर्च होगा और ऋणी FICCL की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के पक्ष में बंधक अधिसंपत्ति या उनमें से किसी पर भी ब्याज नहीं लगाएगा। इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा बनाई प्रभारी/सुरक्षा FICCL से ऋणी द्वारा प्राप्त इस समझौते और अन्य सभी ऋणों/प्राप्त हुई सुविधाओं/प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं से संबंधित भुगतान पूरा होने तक जारी और लागू रहेगी। इस समझौता और ऋणी के दायित्व के तहत बनाई सुरक्षा समापन (स्वैच्छिक या अन्यथा) या किसी भी विलयन या समामेलन, पुनर्निर्माण, प्रबंधन के अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण (यदि हो तो) द्वारा प्रभावित, भ्रष्ट, मुक्त नहीं होगी। ऋणी वचन देता है कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सिक्क्यूरिटी FICCL के लिए बकाया राशि या FICCL से ऋणी द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य वित्तीय लाभ के लिए वैध होगी।
- 5.5 यदि इस समझौते के निर्वाह के दौरान किसी भी समय, FICCL की राय यह हो कि ऋणी द्वारा प्रदान की गई सिक्क्यूरिटी FICCL के संतुलन को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो, इस पर FICCL द्वारा ऋणी को सलाह देने पर, ऐसी कमी को पूरा करने के लिए FICCL द्वारा स्वीकृत अनुसार FICCL को संतुष्टि प्रदान करेगा। ऋणी समय-समय पर FICCL द्वारा आवश्यक उक्त ऋण से संबंधित अन्य दस्तावेज प्रदान करके की जिम्मेदारी भी लेता है।
- 5.6 ऋणी घोषणा करता है कि सभी मौजूदा संपत्तियां निरपेक्ष संपत्तियां हैं और वे ऋणी के एकमात्र स्वामित्व और विक्रय में हैं और किसी भी शुल्क, बंधक, अधिकार या भविष्य के किसी संकट से मुक्त हैं। ऋणी ट्रांजिट में होने के समय के दौरान किन्हीं भी बंधक अधिसंपत्तियों को, भले ही वह किसी भी स्थान पर रखी हों, अपने किसी भी परिसर, कारखाने, गोदाम में से बंधक अधिसंपत्तियां नहीं निकालेगा या निकालने या किसी और जगह भेजने की अनुमति नहीं देगा।
- 5.7(a) ऋणी गैरेज और अन्य परिसर के संबंध में, जहाँ बंधक अधिसंपत्तियां रखी या संग्रहित की जाती हैं, से संबंधित सभी किराए, कर, व्यय और अन्य शुल्कों का भुगतान करेगा। ऋणी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह के गैरेज और अन्य परिसर नुकसानया आग, आगजनी, नागरिकों द्वारा विद्रोह, दंगों से क्षति और ऐसे जोखिम जो FICCL के अनुसार प्रत्यक्ष हो सकते हैं, के लिए पूर्ण बाजार मूल्य तक पूरी तरह बीमाकृत होते हैं। ऋणी विधिवत और ठीक समय पर इस तरह की नीतियों पर और जब देय होगा तब सभी प्रीमियम का भुगतान करेगा और निरीक्षण के लिए FICCL को मूल रसीद प्रस्तुत करेगा और FICCL के रिकार्ड के लिए उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की नीतियों को इस सुरक्षा के निर्वाह के दौरान उचित रखा जाता है और ऋणी ऐसा कुछ नहीं करेगा या ऐसा कुछ करने की अनुमति न होगी जिससे बीमा रद्द किया जा सकता है। ऋणी FICCL को बीमा की हर तरह के नीति आवंटित करेगा और FICCL को ऋणी द्वारा प्राप्त किसी भी नीति का सभी आय का भुगतान करेगा।
- (b) यदि ऋणी अपने पूर्वोक्त दायित्वों को पूरा करने में नाकाम रहता है, FICCL, अपने विवेकआधार पर, इस तरह के किराए और व्यय का भुगतान कर सकता है और FICCL को परिसर या गैरेज बीमा और ऋणी द्वारा इस प्रयोजन के लिए सारे पैसा का FICCL द्वारा किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति करेगा। प्रतिपूर्ति FICCL द्वारा मांग पर की जाएगी और इस तरह के भुगतान के डिफॉल्ट में, FICCL के साथ ऋणी के ऋण खाते में भुगतान के लिए, FICCL को राशि डेबिट करने के लिए आजादी होगी और ऐसी राशि पर ऋण पर लागू ब्याज दर लागू होगी।
- 5.8(a) ऋणी दुर्घटना, आग, बिजली, भूकंप, बाढ़, दंगों, सिविल, हंगामा, युद्ध, चोरी, पिल्फरिज, तीसरे पक्ष की देनदारियां और FICCL द्वारा निर्धारित समय-समय पर इस तरह के अन्य जोखिम के रूप में सभी जोखिमों के खिलाफ बन्धक संपत्ति को पूर्ण और व्यापक रूप से उसके पूर्ण बाजार मूल्य तक

- बीमें अधीन रखेगा। बीमा ऋणी और FICCL के संयुक्त नाम में किया जाएगा और बीमा नीतियों और नवीकरण नोटों की प्रतियां FICCL के साथ जमा किया जाएगा। ऋणी ऐसी नीतियों और जब देय हो पर विधिवत और ठीक समय पर सभी प्रीमियम का भुगतान करेगा और FICCL को निरीक्षण के लिए मूल रसीद प्रस्तुत करेगा और उसके FICCL रिकार्ड के लिए विधिवत प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करेगा। ऋणी यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की नीतियों को इस सुरक्षा के निर्वाह के दौरान उचित रखा जाता है और ऋणी ऐसा कुछ नहीं करेगा या ऐसा कुछ करने की अनुमति न होगी जिससे बीमा रद्द किया जा सकता है।
- (b) ऋणी के डिफॉल्ट होने पर उक्त दिए अनुसार बंधक अधिसंपत्ति का बीमा होगा, FICCL, अपने विवेकाधार पर, लेकिन ऐसा करने के लिए बिना किसी भी दायित्व के, बंधक अधिसंपत्ति के बीमा पर प्रभाव और/या उसके संबंध में प्रीमियम का भुगतान कर और ऋणी इसके द्वारा मांग पर FICCL प्रतिपूर्ति के लिए सभी राशियों को ऋणी द्वारा भुगतान करने और/या FICCL द्वारा ऐसा करने में और ऋणी द्वारा इस तरह की राशि के भुगतान के डिफॉल्ट पर होने पर, FICCL को FICCL के साथ ऋणी के ऋण खातों में ऐसी राशि डेबिट करने की आज्ञा दी होगी और ऐसी राशि पर ऋण पर लागू ब्याज दर लागू होगी।
- (c) यदि किसी भी नीति या बीमा की नीतियों के तहत एक बीमा कंपनी से कोई भी राशि प्राप्त की जाती है, FICCL के विवेकाधिकार पर राशि को वसूल किया जा सकता है, लेकिन बंधक अधिसंपत्तियों के खोने या क्षतिग्रस्त होने के संबंध में प्रतिस्थापन में या FICCL के लिए ऋणी के दायित्व के परिसमापन में उपयोग किया जा सकता है।
- 5.9 ऋणी, सभी स्थितियों में ऋणी के खर्च और जोखिम पर बंधक अधिसंपत्तियों को उचित स्थिति में रखेगा और प्रबन्धन करेगा और ऋणी किसी भी कारण के लिए बंधक अधिसंपत्तियों को किसी भी वजह से किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें चोरी, मौसम से नुकसान और गुणवत्ता में गिरावट शामिल है।
- 5.10 ऋणी FICCL के लेखन में अभिव्यक्त सहमति के बिना बंधक अधिसंपत्तियों को किसी भी तरीके से ऋणग्रस्त या हस्तांतरण नहीं करेगा। ऋणी FICCL के नाम के साथ समर्थन किए हुए प्रत्येक बंधक अधिसंपत्ति के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और तथ्य यह है कि संपत्ति FICCL के लिए बंधक होगी। बंधक अधिसंपत्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण आपराधिक विश्वास हनन होना समझा जाएगा और FICCL ऋणी के खिलाफ धोखाधड़ी करने के लिए अन्य बातों के साथ आपराधिक कार्यवाही को अपनाने की हकदार होगी।
- 5.11 ऋणी, प्रत्येक छह महीने के अंतिम दिन के रूप में, FICCL को तत्संबंधी पूर्ण विवरण के रूप में बंधक अधिसंपत्तियों के बारे में, बाजारी मूल्य, जगह या स्थान जहां वे स्थित हैं/पार्क हैं या वे ट्रांजिट में हैं और यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्याज के बयानों को प्रस्तुत करेगा। इस तरह की स्टेटमेंट संबंधित दिनांक से 10 कार्य दिवसों के भीतर FICCL को वितरित की जाएगी और ऋणी के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणिकृत होगी। स्टेटमेंट FICCL द्वारा समय-समय पर निर्धारित फार्म के रूप में होनी चाहिए और FICCL द्वारा आवश्यक रूप में इस तरह के सबूत द्वारा समर्थित होनी चाहिए। इसके अलावा, ऋणी FICCL को प्रस्तुत करेगा, और जब ऐसा करना FICCL द्वारा आवश्यक हो, बंधक अधिसंपत्तियों और ऋणी के कारोबार के बारे में इस तरह की जानकारी जो FICCL द्वारा आवश्यक हो सकती है।
- 5.12 यदि ऐसा FICCL द्वारा आवश्यक है, तो ऋणी वह सभी स्थानों को प्रदर्शित करेगा जहां बंधक अधिसंपत्ति रखी हो सकती है, साइन बोर्ड प्रमुखता से यह दर्शाता है कि बंधक अधिसंपत्तियां FICCL को बंधक हैं ; साइन बोर्ड को FICCL द्वारा आवश्यक तरीके में और फार्म के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है।
- 5.13 ऋणी घोषणा करता है कि सभी बंधक अधिसंपत्तियां पूरी तरह से जो किसी भी ऋणभार और अतीत के ऋणभार से मुक्त हैं, यदि कोई हो, व्यक्ति जिसके पक्ष में इस तरह का ऋणभार बनाया गया था की संतुष्टि को पूरा करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऋणी आगे घोषणा करता है कि बंधक अधिसंपत्तियां और उसके संबंधित सभी दस्तावेज एक अमानतदार की क्षमता में FICCL के लिए ऋणी द्वारा विश्वास में रखी जाएगी। ऋणी आगे यह सुनिश्चित करेगा कि बंधक अधिसंपत्ति या उनमें से किसी पर कोई शुल्क या ऋणभार नहीं होगा और FICCL के पक्ष में बंधक अधिसंपत्ति पर इसके द्वारा बनाए गई सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 5.14(a) FICCL के साथ ऋणी वाचाएं करता है कि ऋणी ने कहा कि ऋण या ब्याज चुकाने के लिए उस पर घटना या किसी भी घटना जिससे ऋण लेने की क्षमता को प्रभावित होने की संभावना है या संभावना की घटना है के बारे में FICCL का मूल्यांकन करेगा या सुरक्षा प्रभावित होने की संभावना में ऋण के संबंध में FICCL के लिए ऋणी के दायित्वों का मूल्यांकन करेगा।
- (b) पूर्ववर्ती उप खंड में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणी एतद्वारा के साथ सहमत हैं, और FICCL को वचन देता है कि ऋणी तत्काल घटना या अन्य बातों के साथ होने की संभावना होने पर FICCL को निम्न घटना में से किसी के लिए भी जानकारी देगा,
- ऋणी के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसे के लिए दावा करने पर ऋणी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही करना, या ऋणी के खिलाफ लागू करना;
 - किसी भी कारण के लिए बंधक अधिसंपत्तियों को कोई भी क्षति;
 - बंधक अधिसंपत्तियों के खिलाफ कोई संकट या अन्य अदालत प्रक्रिया होना;
 - कोई भी घटना जो ऋणी के व्यापार जिसमें वित्तीय हालत, औद्योगिक कार्यवाही, बकाया राशि की वसूली के लिए अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों, बकाया आदि सहित प्रभावित होने की संभावना है।
 - यदि ऋणी के संघटन या स्वामित्व में परिवर्तन आता है जो FICCL की राय में प्रतिकूल है।
- 5.15 ऋणी FICCL को बंधक अधिसंपत्ति निरीक्षण लेने के लिए सक्षम करने के लिए, FICCL के कहने पर बंधक अधिसंपत्ति को FICCL को प्रस्तुत करेगा। ऋणी आगे सहमत होता है कि FICCL और उसके अधिकृत प्रतिनिधि कर्मचारी और एजेंट हर समय परिसर गोदाम या गैरज जहां बंधक अधिसंपत्ति रखी गई है, वहां प्रवेश करने के लिए दी गई बंधक अधिसंपत्ति का निरीक्षण करने के हकदार होंगे और उद्देश्य के लिए किसी नोटिस के बिना हकदार होंगे, और यदि आवश्यक हो तो भंडारण की कोई भी ऐसी जगह तोड़ने के हकदार होंगे।
- 5.16 जहां बंधक अधिसंपत्ति एक मोटर वाहन है, ऋणी समय-समय पर लागू कब्जे, संचालन और मोटर वाहन के उपयोग से संबंधित सभी नियमों, कानूनों और निर्देशों का पालन करेगा और कब्जे, ऑपरेशन या मोटर वाहन के उपयोग से संबंधित सभी जोखिम और देनदारियों से उत्पन्न होने वाले जोखिम या संबंधित देनदारी का भुगतान करेगा। ऋणी FICCL साथ एतद्वारा आगे वाचा करता है कि उसके खुद के द्वारा या अपने सेवकों

या एजेंटों द्वारा मोटर वाहन को केन्द्र और राज्य विधानमंडलों वन, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सीमा शुल्क, निषेध, अफीम, रेलवे संपत्ति अवैध कब्जे, स्वर्ण नियंत्रण आदि अधिनियमों के प्रावधानों में से किसी के उल्लंघन में तस्करी के किसी भी रूप, माल, लेख, व्यक्तियों आदि के परिवहन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और मोटर वाहन को, ऐसे माल, लेख या व्यक्तियों को छुपाने के प्रयोजन के लिए अनुकूलित या फिट, बदला नहीं किया जाएगा। ऋणी बंधक अधिसंपत्ति को किसी भी गैरकानूनी या अवैध गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा और ऋणी FICCL द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बंधक अधिसंपत्ति के संबंध में इस तरह के गलत तरीके से या अवैध उपयोग के परिणाम के रूप में किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार होगा। ऋणी क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं और FICCL को सुरक्षित और हानिरहित रखेगा और FICCL को किसी के खिलाफ रक्षा करने का वचन देता है तथा सभी दावों, लागत, खर्च, नुकसान और देनदारियों, चाहे सिविल या आपराधिक हों, किसी भी प्रकार का जो भी हो, से उत्पन्न होने वाले या किसी भी नुकसान या हानि के खिलाफ भी उपयोग करते हैं, कब्जे, ऑपरेशन या मोटर वाहन के परिवहन से संबंधित है (चाहे मौद्रिक या अन्यथा) के विनाश या मोटर वाहन के लिए किसी भी क्षति के कारण FICCL को होता है।

- 5.17 ऋणी FICCL के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा बंधक अधिसंपत्ति जब्तों द्वारा FICCL को किसी भी कारण से क्षतिपूर्ति करने और नुकसान के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए वचन देता है, या किसी नुकसान के खिलाफ FICCL के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा शुरू की कानूनी प्रक्रिया के किसी भी फार्म से उत्पन्न या विनाश या हानि या बंधक अधिसंपत्ति की बेदखली के लिए क्षति के कारण FICCL के कारण होता है।
- 5.18 समझौते का अनुसरण करने में और उक्त विचार के लिए ऋणी मोटर वाहन नियम (बाद में "फार्म" कहा जाता है) के तहत निर्दिष्ट विभिन्न रूपों पर हस्ताक्षर करने और अमल करने के लिए ऋण के तहत FICCL के देय के लिए बकाया राशि के शीघ्र प्राप्ति के लिए बंधक अधिसंपत्ति की बिक्री और के हस्तांतरण के लिए सहमत हो गया है। डिफॉल्ट की घटना होने पर, ऋणी एतद्वारा FICCL और/या अपने अधिकारियों या एजेंटों को फार्म में विवरण/ब्यौरा भरने के लिए कहेगा जिसमें FICCL की पसंद का हस्तांतरी/तृतीय पक्ष होगा और तीसरी पार्टी के नाम पर वाहन स्थानांतरण और/या बिक्री के लिए फार्म भरेगा और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा यदि ऋणी ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही किया था। अगर ऋणी व्यक्तिगत रूप से इस का प्रदर्शन करता है तो ऋणी FICCL सभी कार्य, कर्म, मामले और पूरी तरह से इन प्रस्तुत विषय के रूप में संबंधित बातों पर अमल करने या निष्पादित करने के लिए के लिए अधिकृत करता है। ऋणी पुष्टि और सभी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और जो भी FICCL करता है, या इन प्रस्तुत के आधार पर परिसर के बारे में किया जाने के लिए। ऋणी आगे सहमत है कि उक्त शक्तियां बहुमूल्य विचार के लिए प्रदान की गई हैं और जो ऋण और/या इन प्रस्तुत के अनुसरण में रहने के संबंध में देय होगी वह प्रकृति में अटल होंगी।
- 5.19 ऋणी जागरूक और स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते के संदर्भ में किसी का उल्लंघन करना अपराध होगा और FICCL ऋणी के खिलाफ सभी या किसी भी तरह के उल्लंघन के रूप में या उल्लंघनों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 6

ऋणी प्रस्तुती और वारंटी

- 6.1 ऋणी एतद्वारा घोषित, प्रस्तुत और आश्वासन देता है कि:
- ऋणी को पता है कि FICCL उपकरणों की खरीद के लिए ऋण आवेदन और ऋणी द्वारा किए गए अभ्यावेदन के विश्वास के आधार पर ऋण अनुदान देने के लिए सहमत हो गया है तथा इसे सत्य और सही होने पर विश्वास करता है और ऋणी द्वारा FICCL से ऋण लेने के लिए आवश्यक तथ्य या जानकारी प्रस्तुत की गई है;
 - ऋणी ने ऋण का लाभ उठाने और सुरक्षा बनाने के लिए सरकार या किसी सांविधिक निकाय, वित्तीय संस्थान, एजेंसी या प्राधिकरण से सभी अनुमति, अनुमोदन सहमति या प्रतिबंध अगर कोई भी आवश्यक है प्राप्त की है और सारे समय FICCL को बकाया का पूरा भुगतान करते हैं और ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया है, ऐसे सभी अनुमतियाँ, अनुमोदन, सहमति या प्रतिबंधों को वैध और संविदा रखें;
 - इस समझौते को क्रियान्वित करने वाला ऋणी का अधिकारी और अनुसरण में दिए गए दस्तावेज, कार्यालय में विधिवत और ठीक से होंगे और पूरी तरह से इसे ही निष्पादित करने के लिए अधिकृत होंगे;
 - अनुसरण में क्रियान्वित समझौते और दस्तावेज, जब क्रियान्वित और डिलीवर किए जाएंगे, ऋणी के दायित्वों को वैध और बाध्यकारी करेंगे;
 - ऋणी ने कोई कार्यवाही नहीं की है और न ही कोई भी कदम उठाए गए हैं या ऋणी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की या धमकी दी गई है इसके समापन, विघटन, प्रशासन, पुनर्गठन, दिवाला, दिवालियापन या रिसीवर की नियुक्ति के लिए, व्यवस्थापक या ऋणी का अदालत अधिकारी या सभी या अपनी संपत्ति या उपकरणों के किसी भी के लिए;
 - यह समझौते होने की दिनांक के रूप में, वहाँ कोई मुकदमेबाजी, कार्यवाही या विवाद या लंबित कार्यवाही या ऋणी के खिलाफ धमकी नहीं है, प्रतिकूल दृढ़ संकल्प जो की काफी हद तक ऋण चुकाने या ऋणी की वित्तीय स्थिति पर एक हकीकत में प्रतिकूल प्रभाव के लिए ऋण लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है;
 - इस समझौते का निष्पादन और प्रतिपादन और इसके अंतर्गत अपने दायित्वों का प्रदर्शन (I) किसी लागू कानून, कानून या विनियमन या किसी निर्णय या डिक्री जिस की ऋणी अवहेलना करता है (II) किसी भी शर्त के उल्लंघन में टकराव या परिणाम या प्रतिज्ञापत्र और शर्तों, किसी भी मौजूदा समझौते का डिफाल्ट जिसमें ऋणी एक पार्टी हो या (III) जापन और संघ विलेख/ साझेदारी डीड/ट्रस्ट डीड/समाज के कानून या ऋणी के अन्य संवैधानिक दस्तावेज के किसी प्रावधान का टकराव या उल्लंघन;
 - ऋणी की वित्तीय स्थिति में कोई आर्थिक प्रतिकूल बदलाव नहीं किया गया है, और न ही कोई भी घटना हुई है या हो सकती है जो ऋणी के नवीनतम अंकेक्षित वित्तीय की दिनांक के बाद से FICCL की रुचि के प्रतिकूल हो सकती है जो इस समझौते के तहत ऋणी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को भौतिक और/या प्रतिकूल प्रभावित करने की संभावना है;
 - ऋणी के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों को आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है जो नोटों के सिवा साथ आवेदन और देने के संयोजन के रूप में किया गया है वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के दौरान वित्तीय स्थिति और ऋणी की स्थिति का एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य;
 - इस समझौते के पहले, ऋण के लिए किसी भी आवेदन सहित यहाँ ऋणी की संपत्ति या बची जायदाद के विपरीत बंधक, शुल्क, या किसी भी तरह का ग्रहणाधिकार नहीं है और ऋणी द्वारा पहले से ही FICCL को लिखित में स्पष्ट रूप से उल्लेख या खुलासा की गई हैं;

- (k) तथ्य, परिस्थितियां या घटनाएं, हकीकत में उधार लेने के लिए हानिकारक है, इसके अंतर्गत ऋणी की अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और/या ऋण के संबंध में, और/या ऋणी की वित्तीय स्थिति, और/या FICCL अपने अधिकारों के अंतर्गत उनके कार्य करने की क्षमता और/या देय चुकोती प्राप्त करने और ऋण के तहत ऋणी से बकाया राशि का भुगतान करने या, ऋणी के आकलन में, होने की संभावना है;
- (l) ऋणी सभी लागू कानूनों और नियमों का हर समय पालन और दृढ़ रहेगा जिसमें शामिल है पर सीमित नहीं है श्रम कल्याण से संबंधित और पर्यावरण संरक्षण विधियों और प्रावधानों तक ही सीमित नहीं, का पालन करेंगे;
- (m) ऋणी की संपत्ति का उचित मूल्य वास्तविक, दल या जमानत की अपनी कुल देनदारियों से अधिक है ऋणी का अपने दायित्वों के परिपक्व होने पर उन्हें पूरा करने की क्षमता और ऋणी के पास अपना व्यापार करने के लिए पर्याप्त पूंजी है;
- (n) ऋणी आगे स्वीकार करता है और इस बात की पुष्टि करता है कि ऋण के संबंध में FICCL को उपलब्ध कराई गई जानकारी में महत्वपूर्ण तथ्य की कोई गलत स्टेटमेंट शामिल नहीं है, न ही उसमें निहित स्टेटमेंट देने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य आवश्यक है या उन परिस्थितियों में गुमराह नहीं किया गया है जिसमें स्टेटमेंट बनाई गई थी या हैं;
- (o) ऋणी निर्माता या डीलर से उपकरण की डिलीवरी प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार होंगे। FICCL उपकरण या किसी विलंब शुल्क लागत या गुणवत्ता/स्थिति/संपत्ति की फिटनेस के वितरण में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणी ऊपर के संबंध में किसी भी दायित्व से FICCL को दोषमुक्त करता है और ऋणी उपकरण वितरित नहीं किया गया है के बहाने पर निर्धारित ऋण किशतों का भुगतान नहीं रोकगा;
- (p) ऋणी समझते हैं कि उपकरण में कोई भी निर्माता/डीलर या या अन्य ऐसे व्यक्ति या जिनके माध्यम से यह सौदा हो रहा है, बातचीत होती है या आयोजित किया जाता है FICCL के एजेंट नहीं हैं और FICCL की अभ्यावेदन के प्रति कोई देनदारी नहीं है या यह स्टेटमेंट FICCL द्वारा सीधे ऋणी को नहीं दी गई है;
- (q) ऋणी प्रस्तुत करता और आश्वासन देता है कि ऋणी किसी भी आधार पर और/या किसी भी परिस्थिति में कोई भी दंडात्मक क्षति या मुआवजा, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परिणामी FICCL से दावा या उबरने के लिए नहीं करेगा, सुविधाओं के संबंध में या परिकल्पित लेनदेन या इसके अंतर्गत FICCL के किसी भी कार्य या कार्यवाही और/या सुविधाओं के संबंध में, FICCL द्वारा मामले में लिए गए या छोड़े गए और/या अनुसारी और/या FICCL या एक लेनदार के रूप अपने ब्याज और अधिकार को बचाने के संबंध में;
- 6.2 ऋणी एतद्वारा पुष्टि करता और यह प्रमाणित करता है और इसलिए इस बात की पुष्टि और लिखित रूप में प्रमाणित करेगा और FICCL द्वारा अपेक्षित विस्तार में प्रत्येक उधार लिए गए नए पैसे के लिए और/या इस तरह के अन्य समय में FICCL द्वारा आवश्यकता के रूप में, कि: 1) ऋणी द्वारा की गई सभी अभ्यावेदन, उपक्रम और वारंटी इस तरह की दिनांक के रूप में सच और मान्य हैं; 2) खण्ड 8 के अंतर्गत निर्दिष्ट डिफॉल्ट की कोई घटना होती है, या समय बीतने या सूचना देने घटित होने की संभावना है होती है; तथा 3) उक्त (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विशेष रूप से कोई तथ्य या परिस्थितियां या घटनाएं, हकीकत में उधार लेने के लिए हानिकारक है, ऋणी की इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की क्षमता और/या ऋण के संबंध में, और/या ऋणी की वित्तीय स्थिति, और/या FICCL की अपने अधिकारों को लागू करने की क्षमता और/या ऋण के तहत ऋणी द्वारा देय चुकोती प्राप्त करने और भुगतान प्राप्त करने, आती है, ऋणी के आकलन में, होने की संभावना है।
- 6.3 ऋणी तुरंत लिखित रूप में FICCL को सूचित करेगा यदि उसे इस समझौते की दिनांक के बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति के बारे में पता चलता है जिस कारण कोई प्रस्तुती और वारंटी किसी भी कारण वित्तीय या व्यापार की स्थिति या ऋणी की संभावनाओं के लिए झूठ गलत या कोई भ्रामक बन जाएगी।

अनुच्छेद 7

प्रतिज्ञापत्र

7. सकारात्मक प्रतिज्ञापत्र:

- 7.1 ऋणी प्रतिज्ञापत्र देता है और वचन देता है कि जितने लंबे समय तक इस समझौते के तहत देय राशि बकाया रहेगी, और इसके अंतर्गत जब तक सारे पैसे का पूर्ण और अंतिम भुगतान होता है, या होगा, जब तक कि FICCL लिखित रूप में अनुपालन का समर्पण करता है:
- (a) FICCL को बताए गए उद्देश्य उपकरणों की खरीद के लिए ऋण का उपयोग करता है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करता है;
- (b) FICCL की मांग पर समझौते के तहत FICCL को ऋण और ब्याज और सारे पैसे का भुगतान करता है। तथापि चुकोती अनुसूची निर्दिष्ट/उपलब्ध करवाकर, ऋणी इस बात से सहमत है कि FICCL मांग पर समझौते के तहत यहाँ निर्दिष्ट अन्य देय राशि के साथ-साथ पूरे ऋण का भुगतान करने का अधिकार होगा।
- (c) अपने कॉर्पोरेट अस्तित्व को बनाए रखे और प्राप्त करे, शर्तों का पालन करे और वह सब करे जो पूरी शक्ति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है और सभी प्राधिकरण, अनुमोदन, लाइसेंस और सहमति विधिवत् अपने व्यापार को चलाने के लिए सक्षम करने के लिए आवश्यक लागू करे;
- (d) वह सब करे जो पूरी शक्ति में बनाए रखने के लिए आवश्यक है और सभी आवश्यक प्राधिकरण, अनुमोदन, लाइसेंस और सहमति को सक्षम करें जो प्रवेश के लिए आवश्यक है इस समझौते के तहत अपने दायित्व को पूरा करे और इस समझौते के साक्ष्य में वैधता, मान्यता, प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करे;
- (e) ऐसी किसी भी आर्थिक मुकदमेबाजी, मध्यस्थता या अन्य कार्यवाही के बारे में FICCL को सूचित करें जो ऋणी को प्रभावित करती है, इस तरह की कार्यवाही जो किसी भी ऋणी के खिलाफ पैसे के लिए दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा शुरू करने या धमकी दी जा रही है;
- (f) तुरंत किसी भी घटना के बारे में FICCL को सूचित करें जिससे यह अवगत हो जो ऋणी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है या इस समझौते के तहत उसके दायित्वों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है;
- (g) डिफॉल्ट की किसी भी घटना के मामले में तुरंत FICCL को सूचित करें और इस घटना के उपाय संबंधी कदम उठाएं और समय-समय पर, यदि FICCL द्वारा अनुरोध किया गया है, FICCL को लिखित रूप में ऐसी पुष्टि करें, कि कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ है और जारी रखें;

- (h) FICCL किसी घटना या किसी भी घटना के होने की संभावना का मूल्यांकन करता है जिसमें ऋणी की ऋण या ब्याज चुकाने की उसकी क्षमता प्रभावित होने की संभावना है या FICCL पर दिए गए ऋण की प्रतिभूति या ऋण के संबंध में ऋणी के दायित्वों प्रभावित होने की संभावना है;
- (i) तुरंत से घटना या घटना की संभावना, अन्य बातों के साथ FICCL को सूचित करें निम्न घटना के किसी भी, अर्थात्, किसी भी घटना जिससे, ऋणी के कारोबार के प्रभावित होने की संभावना है, अधिकारियों द्वारा सांविधिक की वसूली, देय राशि, आदि के लिए उठाए गए कदम, औद्योगिक कार्यवाही, शामिल हैं।
- (j) यदि ऋणी के कंस्टीट्यूशन या स्वामित्व में परिवर्तन होता है जो FICCL की राय में प्रतिकूल है;
- (k) किसी भी सरकारी निकाय या प्राधिकारी को देय का समय-समय पर सभी करों, मूल्यांकन बकाया, कर्तव्यों और कर का नियमित रूप से भुगतान करता है;
- (l) FICCL को संतोषजनक फार्म और विवरण में FICCL को दें और FICCL द्वारा अनुरोध अनुसार इतनी संख्या में प्रतियां भी दें
- i) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से इस तरह के उचित समय के भीतर लेखा परीक्षित खातों के रूप में FICCL द्वारा अनुमति दी जा सकती है, इस तरह के अन्य स्टेटमेंट या जानकारी जो ऋणी के संचालन या व्यापार से संबंधित हो जिसकी FICCL को ऋण के संदर्भ में आवश्यकता हो सकती है; तथा
- ii) ऋणी द्वारा अपने लेनदारों के लिए जारी की गई सभी सूचनाएं या अन्य दस्तावेज।
- (m) उक्त व्यापकता के होते हुए भी, ऋणी एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि वह FICCL, इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों, को ऋणी के परिसर या संपत्ति में सभी उचित समय पर प्रवेश करने के लिए अनुमति देगा और उसकी पुस्तकों/अभिलेखों, संपत्ति और जायदाद का निरीक्षण/लेखा परीक्षा करने का अधिकार देता है;
- (n) FICCL को इस समझौते के अनुसरण में या इसके अधीन जारी किए किसी भी साधनों पर लगाए सभी सरकारी शुल्क, करों या जुर्माने का भुगतान और प्रतिपूर्ति;
- (o) FICCL के अनुरोध पर इस तरह के कार्य और डीडी प्रदर्शन और निष्पादित करता है, जो समझौते के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (p) ऋणी के कारोबार प्रबंधन में किसी भी आर्थिक बदलने या ऋणी के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई प्रभाव न हो या FICCL की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यवस्था, विलय, एकीकरण, पुनर्निर्माण या समेकन में दर्ज करें।

7.2. नकारात्मक प्रतिज्ञापत्र:

- ऋणी प्रतिज्ञापत्र और वचन देता है कि इस समझौते के तहत जितने लंबे समय तक देय राशि बकाया रहेगी और जब तक इसके अंतर्गत सभी पैसे की पूर्ण और अंतिम भुगतान नहीं होता है, यह FICCL को कम से कम 15 दिनों के पूर्व सूचना के बिना नहीं किया जाएगा:
- (a) किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में घोषणा या लाभांश का भुगतान करता है, यदि कोई डिफॉल्ट की एक घटना हुई है या जारी है;
- (b) किसी भी विलय, एकीकरण, पुनर्निर्माण या समेकन पर प्रभाव डालता है;
- (c) ऋणी की हिस्सेदारी में किसी भी तरह का महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है;
- (d) उसके गुण या संपत्ति या उपक्रमों को बेचना, हस्तांतरण करना या अन्यथा निपटान होता है;

अनुच्छेद 8

डिफॉल्ट की घटनाएं

8.1 निम्नलिखित घटनाओं, या घटनाओं के समान होने वाली कोई भी घटना, को डिफॉल्ट के रूप में माना जाएगा:

- (a) **गैर-भुगतान:**
ऋणी, इस समझौते अधीन किसी भी राशि, मूल राशि या ब्याज और/या ऋण का और निर्दिष्ट तरीके में, चाहे इसके अंतर्गत और/या निष्पादित या करण अनुसरण में लिखा कोई अन्य दस्तावेज की शर्तों के अनुसार और/या निर्धारित समय के भीतर भुगतान करने में असफल रहता है;
- (b) **सामान्य डिफॉल्ट:**
ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत उल्लंघन, या चूक निरीक्षण करना, या अपने दायित्वों या उपक्रमों का निरीक्षण करने में डिफॉल्ट करना, और/या ऋण या किसी भी शर्त, स्थिति, प्रावधान इस समझौता में शामिल किसी भी प्रतिनिधित्व या वारंटी सहित के संबंध में; बशर्ते कि अगर यही ही उपचारयोग्य है, अगर FICCL द्वारा ऋणी को लिखित में नोटिस देने के बाद इस तरह के उल्लंघन चूक या चूक 7 (सात) व्यावसायिक दिनों के बाद जारी रहती है और FICCL द्वारा ऋणी को इस तरह चूक की है और ऐसे में आवश्यक कार्यवाही के अधिसूचित करने के भीतर FICCL द्वारा आवश्यक कार्यवाही 7 (सात) के दिनों में नहीं होती है;
- (c) **गलतबयानी:**
इस समझौते के तहत ऋणी की ओर से कोई प्रस्तुती या वारंटी या आश्वासन या प्रतिज्ञापत्र बनता है या बनाया जाना है कि बार-बार हो या कोई नोटिस, प्रमाण पत्र या स्टेटमेंट या अन्य लिखित रूप या इसके अधीन वितरित या किसी भी आर्थिक के संबंध में गलत या भ्रामक साबित होता है;
- (d) **क्रॉस डिफॉल्ट:**
ऋणी द्वारा किसी अन्य समझौते के तहत अपने दायित्व का निर्वहन में, या ऋणी और FICCL के बीच लेखन के तहत, या किसी भी अन्य समझौते तहत या ऋणी द्वारा किसी भी डिफॉल्ट के लेखन में, या किसी प्रतिज्ञापत्र, शर्त या उसके अधीन उपक्रम के प्रदर्शन में, या ऋणी द्वारा ऋणग्रस्तता नहीं दिया जा रहा है, जब देय या ऋणी का कोई भी लेनदार किसी भी वजह से ऋणग्रस्तता देय घोषित करता है और दिनांक से पहले भुगतान योग्य होता है, जिस पर यह अन्यथा देय हो जाएगा या कोई गारंटी या क्षतिपूर्ति या जमानत या अन्य सहायता समझौता जो ऋणी द्वारा मांगने पर दिया नहीं जा रहा है;
- (e) **कर्ज का भुगतान करने में असमर्थता:**

किसी ऋण के लिए वित्तीय कठिनाइयों या डिफॉल्ट की किसी स्थिति में, डिफॉल्ट की स्थिति में या इससे संबंधित किसी समझौते में संभावी डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणी बकाया होने पर राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता/होते या सामान्य पुनः समायोजन या पुनर्निर्धारण द्वारा अपने एक या अधिक ऋणदाताओं से सौदेबाजी करने लगते हैं, और/या अपने ऋणदाताओं के लाभ या संरचना के लिए एक सामान्य कार्य करता है और/या मानता है या उसे किसी देनदारी का भुगतान के लिए आदेश दिया जाता है और ऐसी देनदारी का देय होने पर भुगतान नहीं किया जाता (बशर्ते कि इस उपखंड में ऋण के लिए किसी भी संदर्भ की आनाकानी में ऐसा कोई भी ऋण शामिल नहीं होगा जिसमें प्रामाणिक विवाद हो और जिसके संबंध में ऐसे ऋण के भुगतान के लिए ऋणी को किसी भी अदालत से आदेश न मिला हो;

(f) **आज्ञप्ति राशि का गैर-भुगतान:**

ऋणी द्वारा ऋणी के खिलाफ किसी भी अदालत आदेश या डिक्री या निर्णय के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहना;

(g) **निष्पादन या संकट की लेवी:**

कोई भी निष्पादन या संकट के खिलाफ लगाया जाता है या एक ऋणभार या अन्य अधिकारी जो ऋणी कि संपत्ति, उपक्रम या जायदाद के किसी भी हिस्से या पूर्ण पर कब्जा कर लेता है, या ऋणी की संपत्ति, उपक्रम या जायदाद के किसी हिस्से या पूर्ण पर ऋणभार प्रवर्तनीय हो जाता है;

(h) **कारोबार की समाप्ति:**

ऋणी आज की दिनांक में व्यापार बंद करने या बंद करने की धमकी देता है;

(i) **दिवालिया:**

ऋणी कोई कार्यवाही या कोई भी कानूनी कार्यवाही या कार्यवाही शुरू करता है या अन्य कदम उठाता है (I) ऋणी फैसला सुनाता या दिवालिया हो जाता है, (ii) ऋणी का निपटान या विघटन या (iii) ऋणी के लिए संस्था या इसके उपक्रम, अधिसंपत्ति और संपत्ति के किसी भी हिस्से के लिए एक परिसमापक, प्रशासक, न्यासी या रिसेवर या प्राप्तिकर्ता या इसी तरह के अधिकारी की नियुक्ति करता है;

(j) **बाध्यात्मक अधिग्रहण:**

सरकार के अधिकारी या किसी अन्य संस्था द्वारा ऋणी के उपक्रम, अधिसंपत्ति या जायदाद या उसके ब्याज के पूर्ण या असल में जब्त, राष्ट्रीयकृत, स्वामित्व या अनिवार्यतः कब्जा किया जाता है;

(k) **समर्पण:**

ऋणी इस समझौते का समर्पण करता है या यह समझौता समर्पण करने के इरादे से कोई भी कार्य या साक्ष्य का कारण बनता है;

(l) **स्वामित्व/प्रबंधन में बदलाव:**

ऋणी स्वामित्व या के प्रबंधन में किसी भी आर्थिक का बदलाव हुआ है जो FICCL के एकमात्र राय में FICCL के ब्याज को प्रतिकूल प्रभावित करेगा।

(m) **आर्थिक प्रतिकूल परिवर्तन:**

कोई भी घटना या स्थिति पैदा होती है, जैसा कि और शामिल है, लेकिन किसी भी आर्थिक प्रतिकूल परिवर्तन तक सीमित नहीं FICCL द्वारा ऋणी के केवल व्यापार, वित्तीय या अन्य शर्त या संचालन या पूर्वानुमान में निर्धारित होता है, जो FICCL की एकमात्र राय में FICCL के ब्याज के प्रतिकूल है या FICCL की एकमात्र राय में ऋणी की वित्तीय स्थिति आर्थिक रूप से प्रभावित होने की संभावना है या इस समझौते के तहत सभी या किसी दायित्व को पूरा करने में इसकी क्षमता के प्रभावित होने की संभावना है और/या अन्यथा ऋण के संबंध में और इस समझौते और/या ऋण के संबंध में किसी के साथ पालन करने के प्रभावित होने की संभावना है;

(n) **डिफॉल्ट की अन्य घटनाएं:**

(i) ऋणी ऋण या किसी भी भाग का दुरुपयोग करता है, या FICCL द्वारा मंजूर ऋण या किसी भी भाग का उपयोग अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए करता है;

(ii) इस समझौते के प्रमाण में ऋणी द्वारा आवश्यक निष्पादन, वितरण, वैधता, सुलभता, स्वीकार्यता के संबंध में सरकारी, सार्वजनिक या वैधानिक या नियामक प्राधिकरण या ऋणी द्वारा सरकारी, सार्वजनिक समिति या प्राधिकरण का पंजीकरण या घोषणा के लिए कोई सहमति, प्राधिकरण, अनुमोदन या ऐसी कोई चीज़, या ऋण के संबंध में ऋणी द्वारा अपने दायित्वों का प्रदर्शन FICCL के लिए अस्वीकार्य ढंग में संशोधित किया जाता है या पूरी शक्ति और प्रभाव में मंजूर या रद्द या समाप्त या नवीकृत नहीं होता;

(iii) जब भी FICCL के पूर्ण विवेक में भुगतान नहीं की गई राशि का निर्धारण करने की संभावना होती है;

(iv) ऋणी FICCL की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना किसी भी शुल्क, धारणाधिकार, भार और/या बंधक अधिसंपत्ति को स्थानांतरित, बेचता या निपटान करता है;

(v) किसी भी अधिकारी द्वारा कोई भी प्रतिभूति को जब्त, संलग्न या कब्जे में ले लिया जाता है या किसी भी कानूनी कार्यवाही का विषय बनता है;

(vi) ऋणी FICCL या उसके अधिकारियों, लेखा परीक्षकों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रबंधन सलाहकार, मूल्य निर्धारकों या FICCL द्वारा इस प्रयोजन के लिए कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण या सत्यापन या मूल्यांकन के लिए संपत्ति प्रस्तुत करने में विफल रहता है;

(vi) किसी भी गारंटर द्वारा प्रदान की गई गारंटी में कोई दोष/निश्चकता आती है जो देनेवाली गारंटी (जहां लागू हो) अप्रभावी/निष्क्रिय होती है।

(vii) यदि ऋणी किसी नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध में शामिल है;

(viii) ऋणी FICCL द्वारा आवश्यक कोई भी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है

FICCL के लिए

ऋणी

सह-ऋणी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुच्छेद 9

FICCL का उपचार

- 9.1 किसी भी समय पर डिफॉल्ट की घटनाएं होने पर, पूर्वोक्त के रूप में, फिर, निहित विपरीत इस के साथ साथ के लिए कुछ होते हुए भी, FICCL अपने पूर्ण विवेक आधार पर निम्न में से कुछ भी करने का हकदार होगा:
- यह घोषणा करना कि ऋण उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए, समाप्त करने के लिए FICCL का दायित्व; और/या
 - ऋणी द्वारा तुरंत देय और भुगतान योग्य होती है और अन्य किसी भी आगे की सूचना या किसी भी प्रकार की अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बिना शर्तों के अनुसार किसी पूर्व सूचना के ऋणी ऋण और/या समझौते के तहत सभी देय और भुगतान योग्य राशियों का भुगतान करेगा; और/या
 - कानून द्वारा करने के लिए अनुमति प्राप्त कोई भी अधिकार, शक्ति या उपाय को लागू करना, सूट, इन्विटी में, या कानून द्वारा कार्यवाही कर, या दोनों, या, इस समझौते में निहित किसी भी प्रतिज्ञापत्र, स्थिति या शब्द का विशिष्ट प्रदर्शन के लिए या इस समझौते की शर्तों और नियमों में से किसी के भी उल्लंघन के खिलाफ, या इस समझौता में दी गई किसी भी शक्ति या अधिकार के प्रयोग की सहायता में और/या
 - यदि ऋणी नियत दिनांक पर ऋण या उसके एक भाग की चुकोती में डिफॉल्ट रहता है और ऐसी डिफॉल्ट पंद्रह (15) दिनों की अवधि तक जारी रहता है, तो FICCL को समझौते के तहत सभी ब्याज, लागत, शुल्क, खर्च और किसी अन्य राशि के बकाया सहित पूरे ऋण को वापिस लेने का अधिकार होगा और ऋणी को सात (7) दिन के लिखित नोटिस पर बंधक अधिसंपत्ति पर कब्जे का अधिकार होगा। यदि ऋणी FICCL को बकाया राशि चुकाने में विफल रहता है, तो FICCL ऋणी से बंधक अधिसंपत्ति का कब्जा लेने का हकदार होगा जहां पर भी वह हों। यह FICCL या FICCL के अधिकृत प्रतिनिधियों, नौकरों, अधिकारियों और एजेंटों के लिए परिसर, या गैरेज या गोदाम जहां बंधक अधिसंपत्तियां हैं या रखी गई हैं पर प्रवेश करना वैध होगा और उसे अपने अधिकार में लेने या प्राप्त करना वैध होगा। बंधक अधिसंपत्ति के हटाने की वजह से भूमि या इमारत को हुए किसी भी नुकसान के लिए ऋणी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। ऋणी FICCL या उनके संबंधित एजेंटों को परिसर या परिसर जहां बंधक अधिसंपत्ति स्थित या स्थित माना गई है प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है और ऋणी FICCL या उनके संबंधित एजेंटों के खिलाफ परिसर में बिना अनुमति आने के कोई भी दावे न बनाने के लिए या उक्त कार्यों के संबंध में FICCL या उनके संबंधित एजेंटों के खिलाफ किसी भी कानून के तहत कार्यवाही न करने के लिए सहमत है। हालांकि, ऋण और बंधक अधिसंपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी करने की आवश्यकता को विशेष परिस्थितियों के तहत माफ किया जा सकता है जहां FICCL का मानना है कि बंधक अधिसंपत्ति के अलगाव की भावना या हेराफेरी की एक मजबूत संभावना है।
 - उक्त के अनुसरण में FICCL बंधक संपत्तियों का कब्जा लेता है, FICCL ऋणी को बंधक संपत्तियों के निपटान के लिए अपने इरादे के बारे सूचित करने के लिए सात (7) दिनों की पूर्व सूचना देगा और ऋणी को मूल समझौते की शर्तों के अनुसार ऋण राशि चुकाने का और बंधक संपत्तियों के कब्जे वापस लेने का एक अंतिम अवसर देगा। यदि ऋणी अंतिम नोटिस का पालन करने में नाकाम रहता है, FICCL कानून की प्रक्रिया के तहत पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से सभी आवश्यक कदम उठा सकता है, जैसे कि ऋणी निपटाने के लिए बंधक अधिसंपत्ति ले सकता है, जैसे कि जनतक नीलामी द्वारा बिक्री के माध्यम, या निजी अनुबंध या अन्यथा बंधक अधिसंपत्ति के निपटाने से जिसमें ऋणी का सभी मामलों में जोखिम और कीमत लेना शामिल है। FICCL को मूल्य में किसी भी हानि या कमी के लिए जवाबदेह होने के बाध्य हुए बिना और किसी क्रिया करने द्वारा उत्पन्न किसी हानि लिए प्रदत्त या दायित्व में कोई क्रिया करने और खरीद राशि के लिए वैध रसीद देने और मुक्त करने और FICCL या प्राप्तकर्ता द्वारा बिक्री को पूरा करने के लिए उचित माने जाने वाली चीजों और कृत्यकरण के बाध्य हुए बिना बिक्री के लिए किसी अनुबंध को रद्द करने या बदलाव करने का अधिकार होगा। ऋणी FICCL द्वारा किए गए किसी भी बिक्री या अन्य स्वभाव की नियमितता के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाएगा है और न ही FICCL किसी भी दलाल या नीलामकर्ता या अन्य व्यक्ति या FICCL के निकाय द्वारा नियोजित की ओर से किसी भी कार्य या डिफॉल्ट या बंधक संपत्ति के निपटान के प्रयोजन के लिए प्राप्तकर्ता से उत्पन्न किसी भी हानि के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - FICCL की पूरी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद FICCL के पास उपलब्ध अधिशेष होने की स्थिति में, FICCL के लिए ऋणी से संबंधित किसी अन्य राशि सहित इस अधिशेष राशि को FICCL द्वारा या किसी खाते में संभालना और उपयोग करना कानूनी होगा जब तक यह राशि उस राशि तक बढ़ न जाए जो ऋणी द्वारा ऋण, कर्ता सहित बिल, क्रेडिट के पत्र, गारंटी, शुल्क या बिल, नोट्स, क्रेडिट सहित ऋण या दायित्व जो अभी नहीं हैं परन्तु भविष्य में देय हो सकते हैं, जो ऋणी के लिए FICCL को देय हो सकते हैं या किसी स्वीकृत मामले में कानून द्वारा समाप्त करने के लिए हो सकते हैं, के लिए स्वयं के लिए या किसी व्यक्ति के साथ, या कंपनी FICCL के प्रति बकाया न बन जाए या बनने के संभावी न हो जाए।

अनुच्छेद 10

गठित वकील

- 10.1 ऋणी निम्नलिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए अपने विधिवत गठित वकील के रूप में एतद्वारा सहमत है और FICCL और इसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है:
- किसी भी जगह जाने जहां बंधक अधिसंपत्ति हो सकता है और निरीक्षण करने और उनका मूल्य लगाने;
 - पूर्ण बंधक अधिसंपत्ति या किसी भाग पर कब्जा लेने और/या उससे संबंधित दस्तावेज जिसमें सामग्री सहित कब्जा हो सकता है और उन्हें तुरंत निपटान के लिए अगर वे खतरनाक हैं और प्रकृति में जल्दी खराब हो सकते हैं।
 - ऋणी के लिए और उसकी की ओर से और सभी मामलों में ऋणी के जोखिम पर बंधक अधिसंपत्ति को बेचना, निपटान करना और उसके बिक्री से प्राप्त आय के पूर्ण या किसी भी भाग को प्राप्त करना या और सभी अनुबंधों, घोषणाओं पर अमल और साधनों के लिए आवश्यक या डिलीवरी के लिए हस्ताक्षर और निष्पादन करना।
 - अधिवक्ताओं और किसी भी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से वाहन के अंतरण करने के लिए FICCL द्वारा आवश्यक होने के रूप में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य अधिकारियों के कार्यालय में समक्ष पेश होना।

- (v) बंधक अधिसंपत्ति और किसी भी दावे, सूट, याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया की संस्था सहित किसी की वसूली के लिए और दिए गए उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक वकालतनामा, दस्तावेजों हस्ताक्षर करने और निष्पादन और इस तरह के सूट या कार्यवाही के निपटारे के लिए आवश्यक ऐसे सभी कदम उठाना।
 - (vi) सभी कागजात, पत्राचार, वाउचर, फॉर्म, आवेदन, याचिकाओं, रसीद, दस्तावेज, समझौता, इकरारनामा और लेखन पर हस्ताक्षर करना जो ऋणी इन प्रस्तुती के तहत और/या ऋणी के लिए ऋण और ओर के अनुसरण में बाध्य किया है और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों, आशवासनों या किसी अन्य संबंधित प्राधिकारी के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत होने और उसके निष्पादन को स्वीकार करते हैं।
 - (vii) आम तौर पर प्रदर्शन करने के लिए और निष्पादित करने के लिए या प्रदर्शन किए जाने के लिए या निष्पादित करने के लिए सभी कार्य कर्म मामले और सभी मामलों में उत्पन्न दस्तावेज या ऋणी के विषय में खुद द्वारा प्रदर्शन या निष्पादित किए हुए।
 - (viii) विभिन्न मुद्दों में कार्य को ज्यादा कुशलतापूर्वक करने के लिए और उपरोक्त बातों को समय समय पर कही गयी बातों या जैसे की ऐसी संस्थाएं, व्यक्ति, संस्था, कंपनियां और FICCL जैसी कंपनियों अनिवार्य समझें जो की इन को कार्यवत करने के लिए विकल्पिक हों और दूसरे को या फिर उपरोक्त बयान किये अनुसार या किसी और को, उस को या उन के स्थान पर मनोनीत करें।
- 10.2 ऋणी सहमत हैं कि उक्त शक्तियां ऋणी को कोई भी पूर्व सूचना दिए बिना प्रयोग की जा सकती हैं और आगे अभिपुष्टि के लिए सहमत हैं और पुष्टि करता है कि FICCL द्वारा नियुक्त FICCL या कोई विकल्प या विकल्प विधिवत् है या उक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।
- 10.3 ऋणी यहाँ ऊपर निर्धारित में शक्तियों के किसी भी अभ्यास के प्रयोजन के लिए FICCL और उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए सहमत है दस्तावेजों की पुष्टि, कागजात पर हस्ताक्षर करना शामिल है और इस तरह सभी चीजों को करना जो FICCL और उसके अधिकारियों को सभी शक्तियों को कार्यवान करने में सक्षम करता है।
- 10.4 ऋणी आगे सहमत होता है कि उक्त शक्तियों को बहुमूल्य विचार के लिए प्रदान किया गया है और ये तब तक प्रकृति में अटल होंगी जब तक ऋण और/या प्रस्तुत के संबंध कोई राशि देय है या भुगतान योग्य है।

अनुच्छेद 11

क्रॉस संपार्श्विक

ऋणी स्वीकार करता है, इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा ऋण चुकौती की स्थिति में, लेकिन ऋणी द्वारा FICCL से लाभ के अधीन कोई भी बकाया किसी भी अन्य वित्तीय सुविधा के तहत लिया गया हो तो ऐसी स्थिति में FICCL इस समझौते तहत ऋणी द्वारा बनाई गई प्रतिभूति को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा और ऋणी इस तरह के बकाया वित्तीय सुविधा को कवर करने के लिए प्रतिभूति का विस्तार करने के लिए FICCL को अधिकृत करता है। इसी तरह, इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा बकाया होने की स्थिति में, FICCL इस समझौते तहत ऋणी द्वारा बनाई गई प्रतिभूति को छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसमें ऋणी ने FICCL से अन्य वित्तीय सुविधा ली हो और ऋणी इस समझौते के तहत बकाया को कवर करने के लिए प्रतिभूति का विस्तार करने देगा।

अनुच्छेद 12

समझौते का पुनर्जीवन

यदि FICCL बंधक अधिसंपत्ति को रखता है, ऋणी FICCL को समझौता को पुनर्जीवित करने और बंधक अधिसंपत्ति को पुनर्वितरण के लिए आवेदन करने का अनुरोध कर सकते हैं, जहां ऐसी स्थिति में इस तरह के अनुरोध पर FICCL अपने विवेकआधार के अनुसार विचार करेगा और इस तरह के नियम और शर्त जो परिस्थितियों में फिट और उचित हों और केवल अतिरिक्त ब्याज, कानूनी और अन्य लागत, कब्जे का खर्च और जैसे सहित पूर्ण में किशतों के मिलने के बाद। समझौता पुनर्जीवित न करने के लिए FICCL द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा और इसे कानून की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी।

अनुच्छेद 13

गौण कर्ज़

ऋणी एतद्वारा सहमत, घोषणा, पुष्टि और वचन देता है कि अपने समूह की कंपनियों/एसोसिएट्स/निदेशकों, भागीदारों, और/या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों या उनमें से किसी को भी दिए सभी ऋण, अग्रिम, और अन्य पैसा को यहां दिए गए ऋण की तुलना में इस ऋण को गौण कर्ज़ माना जाएगा। ऋणी आगे घोषणा करता और वचन देता है कि ऋणी इस तरह के ऋण और अग्रिम को पूर्ण या भाग में नहीं चुकाएगा या कोई ब्याज नहीं देगा, जब तक कि ऋण और/या इस समझौते के अनुसरण में FICCL को पूरे बकाया का पूर्ण में भुगतान नहीं हो जाता है।

अनुच्छेद 14

ऋणी द्वारा FICCL की खातों की स्टेटमेंट स्वीकार करना

FICCL की खाता पुस्तकों/रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियों को इसके सामान्य अभ्यास और सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाए रखा जाएगा और/या FICCL के एक नामित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्टेटमेंट अंतिम और ऋणी पर बाध्यकारी होगी। इस तरह की प्रविष्टियां और/या स्टेटमेंट ऋण के संबंध में रिकॉर्ड की गई ऋणी की प्रथम दृष्टया निर्णायक अस्तित्व के साक्ष्य और दायित्वों की राशि होगी।

अनुच्छेद 15

कारण और धारणाधिकार

15.1 FICCL के किसी भी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FICCL के पास एक परम धारणाधिकार और FICCL में ऋणी के किसी भी खाते में ऋण का पूरा धन निर्धारित करने का अधिकार होगा; और ऋणी FICCL को FICCL में ऋणी के खाते को डेबिट करने या FICCL में ऋणी के किसी खाते में इस समझौते के तहत या FICCL में दर्ज किसी अन्य समझौते के तहत मूल या ब्याज या FICCL के लिए देय या बकाया किसी राशि के हकदार होने पर उसके खाते में क्रेडिट करने के लिए अधिकृत करता है।

- 15.2 यहाँ निहित कुछ भी क्षति नहीं पहुंचाएगा या किसी सामान्य या विशेष धारणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा या उस निर्धारण के लिए अधिकृत नहीं होगा जिसके लिए FICCL अधिकृत है या कानून द्वारा या अन्यथा या वर्तमान या भविष्य की सुरक्षा, गारंटी, ऋणी के दायित्वों सहित FICCL के अधिकारों और उपायों का हकदार हो सकता है।
- 15.3 ऋणी इससे भी सहमत होता है कि इसके अलावा और FICCL के किसी अन्य अधिकार या ग्रहणाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, FICCL किसी भी समय और FICCL में ऋणी के सभी या कुछ खातों और सभी ऋणों और देयधन (फिक्स्ड डिपॉजिट सहित) को ऋणी को सूचित किए बिना संयुक्त और संचित करने और ऋणी के किसी खाते पर FICCL को देय राशि को निर्धारित या ट्रांसफर करने का हकदार होगा चाहे ये देय राशियां वास्तविक या अनिश्चित, प्राथमिक या अतिरिक्त और चाहे संयुक्त या विभिन्न हो।

अनुच्छेद 16

निर्धारण/पोर्टफोलियो का स्थानांतरण/प्रतिभूतिकरण

ऋणी स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि FICCL इसके द्वारा निश्चित शर्तों (खरीददार, असाइनी, ट्रांसफरी की ओर से FICCL द्वारा ऋणी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए अपनी शक्ति बनाए रखने का अधिकार आरक्षित FICCL द्वारा उचित समझने सहित) अनुसार ऋणी के कूल या कुछ बकाया और देय को ऋणी को सन्दर्भ या जानकारी या सूचना दिए बिना और ऋणी की सहमती की आशा किए बिना FICCL द्वारा चयनित तीसरे पक्ष को पूरे या कुछ मात्रा में बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह हकदार होता है और शक्ति और अधिकार रखता है। ऐसी कोई भी कार्यवाही और बिक्री, काम या हस्तांतरण को लेनदार, FICCL या किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक संयुक्त लेनदार के रूप में विशेष रूप से तीसरे पक्ष को स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगी, जैसा भी मामला हो। इस संबंध में कोई भी लागत, जो बिक्री, काम या हस्तांतरण या अधिकारों को प्रभावशाल करने पर और बकाया राशि और देय की वसूली, ऋणी के खाते में होगी। ऋणी FICCL की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते या अधिकारों, कर्तव्यों या इसके अंतर्गत ऋणी के दायित्वों को किसी को भी प्रदान नहीं करेगा।

अनुच्छेद 17

सेवा प्रदाता

ऋणी सहमती देता है कि FICCL के किसी भी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋण और इसके उपयोग की निगरानी और/या ऋणी के कर्तव्य और/या शर्तों के प्रति ऋणी के अनुपालन आयर/या FICCL के पूरी राशि या उसके एक हिस्से की वसूली करने के लिए सभी कृत्य/कदम ऐसे अन्य व्यक्ति (एक कंपनी या निगमित निकाय सहित) द्वारा या उसके माध्यम से करवाए जाएंगे/जा सकते हैं जो समय-समय पर FICCL द्वारा नियुक्त किया जाता है और FICCL समय-समय पर मई उसके संबंध में और FICCL उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से सभी ऋणी और/या ऋण से संबंधित दस्तावेज, खातों की स्टेटमेंट और कोई भी अन्य जानकारी सौंझा करने का हकदार होता है। इसके अलावा, ऋणी स्पष्ट रूप से समझता और स्वीकार करता है कि FICCL, ऐसी गतिविधियों करने के अधिकार पर स्वयं द्वारा या अपने अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना FICCL के चयन अनुसार एक या अधिक तीसरे पक्ष नियुक्त करने और ऐसे तीसरे पक्षों को ट्रांसफर और कार्यभार सौंपने के लिए और FICCL की ओर से बकाया राशियों को इकट्ठा करने और ऋणी के कार्यालय या निवास सहित सभी कृत्यों, कारोबार, मामलों और चीजों को लागू करने, देय राशि प्राप्त करने, और ऐसे उद्देश्यों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा उचित माने जाने वाले कृत्य करने का पूरा हकदार और अधिकृत होगा।

अनुच्छेद 18

समापन

इसके विपरीत इस समझौते में समाहित करने के लिए कुछ होते हुए भी, FICCL किसी भी समय अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक के आधार पर, कोई भी देनदारी के बिना और किसी भी दायित्व के बिना कोई भी कारण दिए बिना ऋण या इसके किसी भी भाग को समाप्त, रद्द या वापिस ले सकता है जो भी हो, सब मूल पैसा, ब्याज और अन्य सभी लागत, शुल्क खर्च और बकाया अन्य पैसा FICCL की मांग पर FICCL को देय और भुगतान योग्य होगा।

अनुच्छेद 19

जानकारी का खुलासा

- 19.1 (i) ऋणी ऋणी के दायित्वों के निर्वहन में, जैसा FICCL भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") और/या क्रेडिट जानकारी ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निमित्त अधिकृत किसी अन्य एजेंसी, FICCL के पेशेवर सलाहकारों और सलाहकार, FICCL की सहयोगी/सहायक कंपनियों को और अपनी सेवा प्रदाताओं, तीसरे पक्ष या अन्य को अदालत के आदेश पर या वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी जिनके साथ यह प्रथानुसार अनुपालन में होता है, के लिए ऋणी, ऋण, ऋणी के खाते और इस समझौते से संबंधित पूरी या कुछ जानकारी के प्रकटीकरण से सहमत होता है, स्वीकार करता है और सहमती देता है, जिसमें ऋणी द्वारा किया कोई डिफॉल्ट शामिल होता है, यदि कोई हो, इसके द्वारा इस समझौते और/या ऋण और/या कानून या किसी लागू विनियमन के संबंध में प्रकट करने और पेश करने के लिए उचित समझे।
- (ii) ऋणी घोषणा करता है कि FICCL को दी गई और दी जाने वाली जानकारी और डेटा सत्य और सही है और तो सीधे या अन्यथा कोई भी गलत बयानी नहीं की गई है। FICCL ऋणी की ओर से कोई त्रुटि या गलत बयानी की स्थिति में उचित समझने पर इस तरह की कार्यवाही करने का हकदार होगा। ऋणी FICCL को समय समय पर आवश्यकता के रूप में इस तरह की अन्य वित्तीय जानकारी FICCL को प्रदान करेगा।
- (iii) ऋणी:
- स्वीकार करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक या क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और कोई भी अन्य सांविधिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकारी या एजेंसी जो अधिकृत है, FICCL द्वारा खुलासा की गई जानकारी और डेटा का उपयोग, संशोधित, प्रसार कर सकते हैं उनके द्वारा किसी विशेष परिस्थितियों में फिट समझा जाने के रूप में; और
 - इस संबंध में FICCL को पूर्ण जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं बनाएगा;
 - FICCL को अधिकृत करता है, कि यदि ऋणी समझौते के तहत कोई भी डिफॉल्ट करता है तो FICCL किसी भी अन्य अधिकार का उपयोग कर सकता है, FICCL ऋणी को बताए बिना भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी, या कानून की अदालत, को ऋणी के नाम और ऋणी द्वारा डिफॉल्ट होने के तथ्य का खुलासा करने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 20

सतत सुरक्षा

ऋणी सहमत है कि यह समझौता, और इसके द्वारा ऋण के लिए और पर, बनाई या बाद में बनाई गई कोई भी प्रतिभूति, ऋण के संबंध में ऋणी के खाते में क्रेडिट बैलेंस या किसी भी आंशिक भुगतान या खातों की अस्थिरता के अस्तित्व के बावजूद ऋणी के सभी दायित्वों के लिए एक सतत प्रतिभूति के रूप में काम करेगी।

अनुच्छेद 21

विविध

21.1 नोटिस:

इस समझौते के तहत प्रत्येक नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार:

- लिखित रूप में, हाथ द्वारा, कूरियर या पंजीकृत डाक, देय रसीद द्वारा पहुँचाया जाएगा;
- हाथ द्वारा पहुँचाए जाने के समय प्राप्त किया जाना माना जाएगा, यदि प्राप्तकर्ता के लिए व्यापारिक दिन पर व्यापारिक घंटों में पहुँचाया जाए, और यदि पंजीकृत देय पोस्ट डाक द्वारा दी जाए, तो इससे 48 घंटे बाद इसे डाक द्वारा भेज दिया जाएगा; और
- ऋणी के उल्लेखित पते पर या FICCL के शाखा कार्यालय के उल्लेखित पते पर या ऐसे अन्य पते पर बेजा जाएगा जैसे एक पक्ष एक अन्य पक्ष को सूचित कर देगा।

21.2 लाभ:

इस समझौते के नियम और प्रावधान बाध्यकारी होंगे, और लाभ ऋणी के उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त नियुक्त व्यक्तियों और FICCL के उत्तराधिकारियों और अनुमति प्राप्त नियुक्त व्यक्तियों को मिलेगा

ऋणी (यदि व्यक्तिगत या स्वामित्व फर्म हो) या ऋणी से संबंधित किसी भी (यदि एक से अधिक व्यक्ति) व्यक्ति (यदि कोई व्यक्ति हो) की मृत्यु की स्थिति में यदि या जब तक ऋणी के मृतक व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि (i) मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अपने नाम पर स्थानांतरित बंधक संपत्तियों का स्वामित्व प्राप्त करता है, (ii) कानूनी प्रतिनिधि द्वारा पोस्ट डेटेड चुकौती बैंक से FICCL में पड़े कैश करवाए हुए कई बैंक को बदलता है और (iii) FICCL द्वारा आवश्यकता अनुसार ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करता है और उन्हें लागू करता है, ऐसा कानूनी प्रतिनिधि इस समझौते का लाभ लेने का हकदार नहीं होगा; हालांकि दिया गया है, कि FICCL को ऋणी द्वारा इस खंड में उल्लेखित आवश्यकताओं और शर्तों को निभाने और उनका अनुपालन करने पर भी उसके कानूनी प्रतिनिधि को इस समझौते का लाभ देने का पूर्ण विवेक होगा।

21.3 छूट:

इस समझौते के तहत ऋणी द्वारा हुए किसी भी उल्लंघन या डिफॉल्ट होने पर FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार करने में कोई देरी या भूल FICCL के अधिकार, शक्ति या उपचार को भंग नहीं करेगी और न ही किसी उल्लंघन या डिफॉल्ट या सहमती का वेवर होने के लिए अनुमानित नहीं होगा और न ही एक उल्लंघन या डिफॉल्ट को छूट किसी अन्य उल्लंघन या डिफॉल्ट या बाद में होने वाले उल्लंघन या डिफॉल्ट का वेवर नहीं होगा। इस समझौते के तहत या इस समझौते के किसी प्रावधान या शर्त के तहत हुए किसी भी उल्लंघन या चूक के संबंध में FICCL के +भाग की ओर से छूट, अनुमति, सहमति या अनुमोदन लिखित रूप में होगा और इस तरह के लेखन के लिए विशेष तौर पर प्रभावकारी होगा।

21.4 FICCL के लिए सभी उपचार, या तो इस समझौते के तहत या कानून द्वारा या अन्यथा देना संचयी होगा और न की वैकल्पिक।

21.5 आंशिक अमान्यता:

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान किसी भी समय किसी भी संबंध में अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय हो जाता है, तो इस समझौते के शेष प्रावधानों की न तो वैधता, मान्यता और न ही प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या खराब नहीं होगी, और पार्टियों आगे सहमत होती हैं कि वे अवैध, अमान्य या अप्रवर्तनीय, कानूनी प्रावधानों को इस समझौते की मूल मंशा को प्रभाव देंगे।

21.6 अधिभावी प्रभाव:

यह समझौता और यहां संलग्न या यहां संदर्भित कोई भी अन्य दस्तावेज, यहां उल्लेखित या आकस्मिक सभी नियमों और शर्तों को एकीकृत करता है, और विषय के संबंध में सभी मौखिक वार्ता और पूर्व लेखन, इस समझौते के पहले जारी स्वीकृति पत्र के उन प्रावधानों को छोड़कर, जो अतिरिक्त हैं और पूरक हैं, और इस समझौते के नियमों के साथ टकराव में नहीं हैं। इस समझौते की नियम, शर्तों और प्रावधानों और किसी भी समझौते या यहां जुड़े दस्तावेज या यहां संदर्भित के बीच कोई टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में, इस समझौते के नियम, शर्त और प्रावधान प्रबल होंगे।

21.8 लागत:

ऋणी द्वारा FICCL द्वारा इस समझौते के शीर्षक और तैयारी, प्रारूपण और अंतिम रूप देने की जांच के सिलसिले में सारी लागत (स्टांप शुल्क सहित), शुल्क, और खर्च के लिए FICCL को वहन, भुगतान, प्रतिपूर्ति करेगा, और अन्य सभी दस्तावेज और सभी कीमतें, शुल्क या खर्च जिन्हें FICCL निरंतर तौर पर प्रमाणित करेगा, या FICCL के कानूनी सलाहकारों और अपनाए गए कानूनी साधनों की सभी कीमतों, शुल्कों और खर्चों सहित डिफॉल्ट की स्थितियों के परिणामस्वरूप इसके द्वारा भुगतान किया जाएगा। ऐसे सारी राशि जो FICCL की मांग पर सूचना की दिनांक से 30 (तीस) दिन के भीतर FICCL को ऋणी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और ऋण खाते में डेबिट किया जाएगा और प्रतिपूर्ति तक भुगतान की दिनांक से ऋण पर देय ब्याज दर ली जाएगी।

21.9 वापसी या बैंक रहित बैंक:

ऋण की परिपक्वता या ऋण के पूर्व भुगतान से ऋण का पूरा होने पर, ऋणी का FICCL के साथ बैंकरहित/अप्रयुक्त चेक की वापसी का कोई अनुरोध होता है, तो उसे ऋण के बंद/पूर्व भुगतान होने की दिनांक से नब्बे (90) दिनों के भीतर ऋणी द्वारा लिखित रूप में किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर FICCL को बैंकरहित/ अप्रयुक्त चेक की वापसी के लिए इस तरह का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो ऋणी को किसी भी आगे की सूचना दिए बिना FICCL द्वारा बैंकरहित/अप्रयुक्त चेक रद्द और नष्ट कर दिया जाएगा।

21.10 कानून:

यह समझौता भारतीय कानून के अधीन, द्वारा नियंत्रित और अनुसार लागू होगा।

21.11 मध्यस्थता/क्षेत्राधिकार:

इस समझौते के संबंध में उत्पन्न सभी विवाद, मतभेद और/या दावे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा हल किए जाएंगे या किसी वैधानिक संशोधन द्वारा और मध्यस्थता करने के लिए FICCL द्वारा मनोनीत/नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ भेजा जाएगा। मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों की मौत, इनकार, उपेक्षा, अक्षमता या असमर्थता की स्थिति में FICCL एक और व्यक्ति को एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। वह निर्णय जिसमें मध्यस्थ का अंतरिम निर्णय भी शामिल होगा वह अंतिम और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही के संचालन में उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समय-समय पर बता सकता है और इस तरह के तरीके में मध्यस्थता की कार्यवाही का संचालन करेगा, जिसे वह उचित समझता है। ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही का आयोजन किया जाएगा। यहाँ निहित विवाचन खंड के अधीन रहते हुए, ऋण सारांश अनुसूची में वर्णित स्थान पर सक्षम अदालत को इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले या कानूनी कार्यवाही पर अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। हालांकि कानून अदालत या सक्षम अदालत की ट्रिब्यूनल में कार्यवाही फाइल/करने के ऋणदाता के अधिकारों को सीमित नहीं करेगा।

21.12 **समझौते के फार्म भाग के लिए अनुसूचियां:**

यहाँ संलग्न अनुसूचियां इस समझौते का भाग हैं जैसा कि यहाँ विस्तृत रूप में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

21.13 **सीमांत नोट और हेड नोट:**

सीमांत नोट और हेड नोट केवल सुविधा और संदर्भ के उद्देश्य के लिए हैं।

21.14 **स्वीकृति:**

ऋणी पुष्टि करता है कि पूरा समझौता ऋणी की उपस्थिति में पूरा किया गया है और ऋणी ने पूरे समझौते को पढ़ा और समझ लिया है और यहाँ दी गई ऋण सारांश अनुसूची में विवरण सहित सभी शर्तों के लिये बाध्य होगा।

उक्त अनुसार समझौता और अन्य दस्तावेज ऋणी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में ऋणी को समझाए गए हैं और ऋणी विभिन्न धाराओं के पूरे अर्थ समझ गया है और इस समझौते की धारणा की पुष्टि करने और समझने के बाद हस्ताक्षर किए हैं।

ऋणी इससे सहमत है कि यह समझौता अंतिम और कानूनी तौर पर उस दिनांक और स्थान पर बाध्यकारी होगा जब FICCL का अधिकृत अधिकारी इस समझौता पर हस्ताक्षर करता है।

साक्षी में जिसका, पार्टियों ने समझौते पर उक्त सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति में हस्ताक्षर किए हैं और अनुसूची, अनुसूची में वर्णित दिन, महीने और वर्ष अनुसार है।

ऋणी के लिए

ऋणी का नाम:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: X
(हस्ताक्षर)

ऋणी1 का नाम:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: X
(हस्ताक्षर)

ऋणी2 का नाम:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: X
(हस्ताक्षर)

ऋणी3 का नाम:
हस्ताक्षरकर्ता का नाम: X
(हस्ताक्षर)

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए X
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
(हस्ताक्षर)

ऋण सारांश अनुसूची

.....दिनांकित यह ऋण सारांश अनुसूची, फार्म ऋण सह उपप्राधीयन समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है जो ऋणी और फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("ऋण समझौता") के बीच निष्पादित किया गया है।

ऋण सुविधा का विवरण

समझौते की दिनांक	:	
निष्पादन का स्थान	:	
आवेदन संदर्भ सं/ऋण खाता सं.	:	
FICCL शाखा कार्यालय का पता	:	
ऋणी का नाम और पता	:	नाम: _____ पता: _____ _____
कानूनी दर्जा		व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/सोसायटी/एचयूएफ/ट्रस्ट
सह-ऋणी का नाम	:	नाम: _____ पता: _____ _____
कानूनी दर्जा		व्यक्तिगत/स्वामित्व फर्म/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/सोसायटी/एचयूएफ/ट्रस्ट /एलएलपी
ऋण का उद्देश्य	:	<input type="checkbox"/> किसी भी सामान और आकस्मिक व्यय के साथ नए वाहन/उपकरण/मशीनरी की खरीद। <input type="checkbox"/> किसी भी सामान और आकस्मिक व्यय के साथ नए वाहन/उपकरण/मशीनरी की खरीद। <input type="checkbox"/> वाहन/उपकरण/मशीनरी उपप्राधीयन के खिलाफ व्यवसाय/पेशे के लिए पुनर्वित्त/ऋण।
ऋण की राशि	:	रुपए. _____ /-(रुपए _____ _____ केवल)
ब्याज दर	:	_____ % प्रतिवर्ष मासिक शेष के साथ मिश्रित।
ऋण का कार्यकाल/अवधि	:	_____ महीने.
पूर्व किश्त ब्याज	:	_____ /-रुपए के साथ लागू कर और/या अन्य सांविधिक लेवी।
अतिरिक्त ब्याज	:	नियत दिनांक से वास्तविक भुगतान/डिफॉल्ट के संशोधन की दिनांक तक देय ऋण के तहत मूल राशि पर दो (2%) प्रतिशत प्रति सेंट प्रतिवर्ष से अधिक न होने वाली एक राशि।
प्रलेखन शुल्क/खर्च	:	ऐसी राशि जो _____ रुपए से अधिक न हो.
ऋण प्रोसेसिंग शुल्क/खर्च	:	ऐसी राशि जो _____ रुपए से अधिक न हो.
कर और लेवी	:	उक्त या ऋण समझौते में कहीं और दिए सभी शुल्क उन पर असीमित सेवा कर और चुंगी लागू सभी करों और सांविधिक प्रभार से अखंडित होंगे।

FICCL के लिए

ऋणी

सह-ऋणी

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

चुकोती अनुसूची

भुगतान योग्य बराबर मासिक किश्तों की संख्या	पहली किश्त के प्रारंभ होने की दिनांक	अंतिम किश्त की नियत दिनांक
किश्त संख्या.	प्रत्येक किश्त की नियत दिनांक	किश्त की राशि
पहली से _____ किश्त		रुपए _____/-
_____ से _____ किश्त		रुपए _____/-
_____ से _____ किश्त		रुपए _____/-

अग्रिम किश्त की संख्या	:			
अग्रिम किश्त का मूल्य	:	रुपए _____/-		
अग्रिम किश्त का समायोजन	:	किश्त संख्या	नियत दिनांक	समायोजित राशि

मध्यस्थता और क्षेत्राधिकार का स्थान	
-------------------------------------	--

बंधक अधिसंपत्ति का विवरण

क्रमांक	वाहन/उपकरण/मशीन का विवरण	मॉडल/बनाना	पंजीकरण संख्या	इंजन संख्या./क्रमिक संख्या	चास्सिस संख्या

ऋणी के लिए		
ऋणी का नाम: (हस्ताक्षर)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:		
.....		
सह-ऋणी का नाम: (हस्ताक्षर)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....		
.....		
फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए	 (हस्ताक्षर)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:		

खर्च शीट

चेक/ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट अस्वीकृत खर्च	प्रति अनुरोध के लिए राशि 30/-रूपए से अधिक नहीं होगी चेक/ईसीएस/डायरेक्ट डेबिट की प्रत्येक अस्वीकृती के लिए भुगतान योग्य होगी।						
ईसीएस के साथ पोस्ट-डेडेड चेक के प्रतिस्थापन के लिए स्वैप खर्च (प्रति अनुरोध)	प्रत्येक अनुरोध के लिए राशि 500/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए						
ईसीएस के लिए बैंक के प्रतिस्थापन के लिए स्वैप खर्च (प्रति अनुरोध)	प्रत्येक अनुरोध के लिए राशि 500/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए						
ऋण रद्द करने के खर्च (पहले ईएमआई से पहले रद्द किया ऋण)	ऋण दस्तावेज पर भुगतान किए गए स्टॉप शुल्क सहित राशि 1500/- रूपए से अधिक न हो यदि ऋण के संवितरण के बाद लेकिन ऋण संवितरण की जांच के नकदीकरण से पहले ऋणी के अनुरोध पर ऋण रद्द कर दिया गया है। यदि ऋण रद्द करने का अनुरोध ऋण राशि के नकदीकरण के बाद किया गया है, पूर्व भुगतान की शर्तें यहाँ निर्दिष्ट अनुसार लागू होंगी।						
नकली एनओसी/एनओसी पुनर्वेधीकरण खर्च	ऐसी राशि 250/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए						
पूर्व भुगतान खर्च (नोट: यदि फ्लोटिंग रेट ब्याज के मामले में पूर्व भुगतान खर्च लागू नहीं होगा जहां प्राथमिक ऋणी/आवेदक एक व्यक्ति है)	सभी पूर्व भुगतान खर्च को आकर्षित करेंगे जो प्रस्तावित पूर्व भुगतान खर्च मैट्रिक्स के तहत उल्लिखित हैं जो इस प्रकार हैं: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>उत्पाद प्रकार</td> <td>सीवी</td> </tr> <tr> <td>0-12 MOB</td> <td>प्रीपेड ऋण राशि का 4%</td> </tr> <tr> <td>>12 MOB</td> <td>प्रीपेड ऋण राशि का 3%</td> </tr> </table>	उत्पाद प्रकार	सीवी	0-12 MOB	प्रीपेड ऋण राशि का 4%	>12 MOB	प्रीपेड ऋण राशि का 3%
उत्पाद प्रकार	सीवी						
0-12 MOB	प्रीपेड ऋण राशि का 4%						
>12 MOB	प्रीपेड ऋण राशि का 3%						

ऋणी के लिए		
ऋणी का नाम:		(हस्ताक्षर)
.....		
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:		
.....		
सह-ऋणी का नाम:		(हस्ताक्षर)
.....		
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:.....		
.....		
फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के लिए		(हस्ताक्षर)
हस्ताक्षरकर्ता का नाम:		

ऋणी और सह-ऋणी द्वारा हस्ताक्षर किया जाए

मांग वचनपत्र

दिनांक:

स्थान:

मांग पर, मैं/हम संयुक्त और पृथक और बिना शर्त फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") जिसका पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर्स तीसरी मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पूनमअल्ली हाई रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई-600095, तमिलनाडु है को/- रूप (..... रूप केवल) की राशि भुगतान करने के लिए वादा करते हैं, या 10% सालाना की ब्याज दर से प्राप्त मूल्य के लिए मासिक आधार की गणना के साथ देने का आदेश देते हैं। भुगतान और टिप्पणी-लेखन और टिप्पणी के विरोध के लिए प्रस्तुतीकरण एतद् द्वारा बिना शर्त और पूरी तरह माफ कर रहे हैं।

जहां एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं तो प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता का दायित्व संयुक्त और विविध होगा।

ऋणी का नाम

सह-ऋणी का नाम

यहां 1/- रूप की रसीदी
टिकट लगाएं(x)
ऋणी

यहां 1/- रूप की रसीदी
टिकट लगाएं(x)
सह-ऋणी

(नोट-(x) हस्ताक्षर रसीदी टिकट की चौड़ाई के अनुसार होना चाहिए)

ऋण राशि के संवितरण के लिए अनुदेश

दिनांक:

सेवा में

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

.....

विषय: संवितरण के लिए प्राधिकरण

श्री मान,

..... के लिए ऋण सुविधा के अनुदान के लिए आवेदन देखें। कृपया उल्लेखित नाम और ढंग में ऋण संवितरण का चेक तैयार करें।

आदाता का नाम	राशि (रूपए.)

उक्त आदाता के पक्ष में ऋण राशि संवितरण ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा। उक्त आदाता के पक्ष में ऋण का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा ऋण देना और लाभ उठाना समझा जाएगा।

धन्यवाद

हस्ताक्षर

ऋणी का नाम :

हस्ताक्षर

सह-ऋणी का नाम :

पुष्टीकरण

मैं/हम मेरे/हमारे लिए ऋण राशि के वितरण के लिए निम्नलिखित विवरण का चेक प्राप्त करना स्वीकार करते हैं।

चेक संख्या	राशि	दिनांक	बैंक का नाम	अनुमोदन

धन्यवाद

ऋणी और सह-ऋणी का नाम	हस्ताक्षर
नाम: (हस्ताक्षर)
नाम: (हस्ताक्षर)

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण संवितरण के लिए आवेदन फार्म
दिनांक: []

सेवा में
फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

विषय: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर योजना के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा ऋण का संवितरण

सन्दर्भ: ऋण आवेदन सन्दर्भ संख्या. :[]
ऋण खाता संख्या :[]

श्रीमान,

मेरे/हमारे ऋण आवेदन के संदर्भ में, मैं/हम बिना शर्त फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") को _____/- (रूपए
_____केवल) की स्वीकृत ऋण राशि की सीधी छूट देने का निर्देश देता हूँ (पूर्व ईएमआई ब्याज,
दस्तावेजों के शुल्क और निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रोसेसिंग शुल्क की कटौती के बाद:-

लाभार्थी का विवरण

लाभार्थी का बैंक नाम	:	
लाभार्थी का बैंक खाता नाम	:	
लाभार्थी का बैंक खाता #	:	
लाभार्थी का बैंक खाता प्रकार	:	<input type="checkbox"/> बचत <input type="checkbox"/> चालू <input type="checkbox"/> नकद क्रेडिट
लाभार्थी का बैंक भुगतान योग्य स्थान	:	
लाभार्थी का बैंक शाखा आईएफएससी कोड	:	
एमआईसीआर कोड	:	
प्रेषित राशि	:	

मैं/हम घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सबसे अच्छे ज्ञान के अनुसार सच, सही और पूर्ण हैं। मैं/हम भुगतान अनुदेश में दिए गए विवरण की सटीकता के लिए जिम्मेदार होंगे।
- अगर FICCL इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए अच्छे विश्वास और अनुपालन में भुगतान के निर्देश में अनुदेश निष्पादित करता है, तो
- मैं/हम, FICCL द्वारा निष्पादित किसी भी भुगतान के निर्देश से बाध्य होंगे।
- उक्त दिए गए लाभार्थी के पक्ष में ऋण का संवितरण मेरे/हमारे द्वारा ऋण दिया और लाभ उठाया समझा। उक्त दिए गए लाभार्थी आदाता के पक्ष में ऋण का संवितरण ऋण सुविधा के संबंध में मेरे/हमारे दायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।
- फुलरटन भारत अधूरी जानकारी, प्रसारण में देरी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के वितरण या गैर वितरण या किसी भी गलती, प्रसारण में चूक या त्रुटि या वितरण या नियंत्रण से बाहर किसी भी कार्य या घटना के से उत्पन्न किसी भी नुकसान या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऊपर उल्लेखित होते हुए भी, फंड ट्रांसफर में देरी होने या FICCL की ओर से किसी भी लापरवाही के कारण भुगतान के निर्देश अनुसार फंड ट्रांसफर करने में त्रुटि के कारण किसी हानि की स्थिति में, भुगतान में देरी की स्थिति में FICCL का दायित्व देरी की अवधि तक बैंक दर से ब्याज के भुगतान की हद तक सीमित होगा।
- FICCL इस आवेदन फार्म में मेरे/हमारे द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण गलत लाभार्थी को गैर क्रेडिट या प्रेषण राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- लाभार्थी बैंक आवक विप्रेषण पर खर्च लेवी और उसी को ही प्रेषित राशि से घटा सकते हैं।

मैं समझता हूँ कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ('एनईएफटी') निर्देश अटल हैं और एनईएफटी के माध्यम से भेजे जाने वाले धन के संबंध में भुगतान रोकने के निर्देश देने के लिए कोई सुविधा नहीं है।

धन्यवाद.

आपका विश्वासी

ऋणी और सह-ऋणी का नाम	हस्ताक्षर
नाम: (हस्ताक्षर)
नाम:

					(हस्ताक्षर)																		
																							
डायरेक्ट डेबिट अधिदेश फार्म																							
डीडीएम संख्या.		(डायरेक्ट डेबिट)		बैंक कॉपी																			
प्रबंधक																							
<p>मैं/हम बताना चाहते हैं कि मैंने/हमने फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड से ऋण ले लिया है। मैं/हम आपको नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डायरेक्ट डेबिट समाशोधन के माध्यम से एतद्वारा फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।</p>																							
[A] खाता धारक का नाम																							
[B] बैंक खाता संख्या																							
[C] खाता प्रकार																							
[D] ऋण खाता संख्या																							
[E] आवेदन सन्दर्भ संख्या																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>योजना का नाम</th> <th>लागू होने की दिनांक</th> <th>आवधिकता (मासिक/तिमाही /)</th> <th>ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि/किश्त की राशि</th> <th>किश्त की संख्या/ तक वैध(चुकोती अनुसूची में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है)</th> <th>दिन दिनांक हर अवधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						योजना का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/तिमाही /)	ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि/किश्त की राशि	किश्त की संख्या/ तक वैध(चुकोती अनुसूची में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है)	दिन दिनांक हर अवधि												
योजना का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/तिमाही /)	ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि/किश्त की राशि	किश्त की संख्या/ तक वैध(चुकोती अनुसूची में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है)	दिन दिनांक हर अवधि																		
[F] लागू होने की दिनांक																							
<p>मैं/हम, फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) के ऋणी होने के रूप में, यहां मैं/हम बैंक को बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं कि वह डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से उक्त उल्लेखित राशि का डेबिट भुगतान करे और FICCL तक सभी बकाया राशि पूर्ण होने तक FICCL को उक्त उल्लेखित मेरे बैंक खाते से डायरेक्ट डेबिट द्वारा नियमित रूप से भुगतान के लिए डेबिट जुटाने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त राशि भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, किश्त की चुकोती में देरी होने के कारण, मैं/हम FICCL देरी/दंडात्मक ब्याज और चैक/ डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं।</p> <p>इसलिए, मैं/हम ऋण के तहत मेरी/हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए FICCL को मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को अधिकृत करते हैं कि समय-समय पर ऐसी डेबिट राशि ले जिसमें देरी/ दंडात्मक ब्याज, चेक/डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च आदि शामिल हो; हालांकि परंतु, कि इस तरह की राशि के लिए डेबिट _____ रूप प्रति माह से अधिक नहीं होगी।"</p> <p>मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि यदि किसी भी महीने मेरे/हमारे ऊपर उल्लिखित खाते में धन की कमी की वजह से डायरेक्ट डेबिट अनुदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो मैं/हम FICCL को ऊपर दिए खाते में महीने के भुगतान होने तक मांग बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं। यह अधिदेश इस व्यवस्था को किसी भी समय बंद करने के लिए और FICCL को मेरे प्रस्तुत पोस्ट डेटेड चेक पर वापस लौटने के लिए FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।</p> <p>मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारणों के लिए लेन-देन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैंने/हमने विकल्प निमंत्रण पत्र पढ़ा है और योजना के तहत एक भागीदार के रूप में मेरी उम्मीद की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सहमत है।</p> <p>यह सूचित किया जाता है कि मैं/हम डायरेक्ट डेबिट सेवा के लिए पंजीकृत करते हैं और फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड में मेरे ऋण के प्रति मेरा भुगतान मेरे/हमारे आपके बैंक में ऊपर उल्लेख किए बैंक खाते से किया जाएगा। मैं/हम फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड और उनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट, सेवा प्रदाता को डायरेक्ट डेबिट निर्देश अधिदेश सत्यापित और निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम भी बैंक को अधिदेश सत्यापन और लागू के रूप में "अपर्याप्त धन" के कारण हुए खर्च के लिए मेरे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।</p>																							
दिनांक:		ग्राहक के हस्ताक्षर																					
हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दिए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं। हम पुष्टि करते हैं कि उक्त हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हैं।																							
शाखा		बैंक मोहर																					
बैंक से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर																							
दिनांक :																							
<p>कारपोरेट कार्यालय: फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, मंजिल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, झील महल के पीछे, पवई मुंबई 400 076</p> <p>पंजीकृत कार्यालय: मेघ टावर्स, 3 मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड, मदुरावोयल, चेन्नई - 600095, तमिलनाडु।</p>																							



डायरेक्ट डेबिट अधिदेश फार्म

डीडीएम संख्या	(डायरेक्ट डेबिट)	FICC कॉपी
----------------------	-------------------------	------------------

प्रबंधक

मैं/हम बताना चाहते हैं कि मैंने/हमने फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड से ऋण ले लिया है। मैं/हम आपको नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डायरेक्ट डेबिट समाशोधन के माध्यम से एतद्वारा **फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड** को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

[A] खाता धारक का नाम	
[B] बैंक खाता संख्या	
[C] खाता प्रकार	
[D] ऋण खाता संख्या	
[E] आवेदन सन्दर्भ संख्या	

योजना का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/तिमाही /)	ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि/किश्त की राशि	किश्त की संख्या/ तक वैध(चुकोती अनुसूची में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है)	दिन दिनांक हर अवधि

[F] लागू होने की दिनांक

मैं/हम, फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) के ऋणी होने के रूप में, यहां मैं/हम बैंक को बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं कि वह डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से उक्त उल्लेखित राशि का डेबिट भुगतान करे और FICCL तक सभी बकाया राशि पूर्ण होने तक FICCL को उक्त उल्लेखित मेरे बैंक खाते से डायरेक्ट डेबिट द्वारा नियमित रूप से भुगतान के लिए डेबिट जुटाने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त राशि भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, किश्त की चुकोती में देरी होने के कारण, मैं/हम FICCL देरी/दंडात्मक ब्याज और चैक/ डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं।

इसलिए, मैं/हम ऋण के तहत मेरी/हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए FICCL को मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को अधिकृत करते हैं कि समय-समय पर ऐसी डेबिट राशि ले जिसमें देरी/ दंडात्मक ब्याज, चेक/डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च आदि शामिल हो; हालांकि परंतु, कि इस तरह की राशि के लिए डेबिट _____ रूप प्रति माह से अधिक नहीं होगी।"

मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि यदि किसी भी महीने मेरे/हमारे ऊपर उल्लिखित खाते में धन की कमी की वजह से डायरेक्ट डेबिट अनुदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो मैं/हम FICCL को ऊपर दिए खाते में महीने के भुगतान होने तक मांग बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं। यह अधिदेश इस व्यवस्था को किसी भी समय बंद करने के लिए और FICCL को मेरे प्रस्तुत पोस्ट डेटेड चेक पर वापस लौटने के लिए FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारणों के लिए लेन-देन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैंने/हमने विकल्प निमंत्रण पत्र पढ़ा है और योजना के तहत एक भागीदार के रूप में मेरी उम्मीद की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सहमत है।

यह सूचित किया जाता है कि मैं/हम डायरेक्ट डेबिट सेवा के लिए पंजीकृत करते हैं और फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड में मेरे ऋण के प्रति मेरा भुगतान मेरे/हमारे आपके बैंक में ऊपर उल्लेख किए बैंक खाते से किया जाएगा। मैं/हम फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड और उनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट, सेवा प्रदाता को डायरेक्ट डेबिट निर्देश सत्यापित और निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम भी बैंक को अधिदेश सत्यापन और लागू के रूप में "अपर्याप्त धन" के कारण हुए खर्च के लिए मेरे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

दिनांक: **ग्राहक के हस्ताक्षर**

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दिए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं। हम पुष्टि करते हैं कि उक्त हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हैं।

शाखा **बैंक मोहर**

बैंक से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

कारपोरेट कार्यालय: फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, मंजिल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, झील महल के पीछे, पवई मुंबई 400 076
पंजीकृत कार्यालय: मेघ टावर्स, 3 मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड, मदुरावोयल, चेन्नई - 600095, तमिलनाडु।



डायरेक्ट डेबिट अधिदेश फार्म

डीडीएम संख्या		(डायरेक्ट डेबिट)	ग्राहक काँपी
----------------------	--	-------------------------	---------------------

प्रबंधक

मैं/हम बताना चाहते हैं कि मैंने/हमने फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड से ऋण ले लिया है। मैं/हम आपको नीचे दिए गए विवरण के अनुसार डायरेक्ट डेबिट समाशोधन के माध्यम से एतद्वारा **फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड** को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

[A] खाता धारक का नाम	
[B] बैंक खाता संख्या	
[C] खाता प्रकार	
[D] ऋण खाता संख्या	
[E] आवेदन सन्दर्भ संख्या	

योजना का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/तिमाही /)	ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि/किश्त की राशि	किश्त की संख्या/ तक वैध(चुकोती अनुसूची में परिवर्तन के साथ भिन्न हो सकता है)	दिन दिनांक हर अवधि

[F] लागू होने की दिनांक

मैं/हम, फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (FICCL) के ऋणी होने के रूप में, यहां मैं/हम बैंक को बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और अधिकृत करते हैं कि वह डायरेक्ट डेबिट के माध्यम से उक्त उल्लेखित राशि का डेबिट भुगतान करे और FICCL तक सभी बकाया राशि पूर्ण होने तक FICCL को उक्त उल्लेखित मेरे बैंक खाते से डायरेक्ट डेबिट द्वारा नियमित रूप से भुगतान के लिए डेबिट जुटाने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त राशि भिन्न हो सकती है। इसके अलावा, किश्त की चुकोती में देरी होने के कारण, मैं/हम FICCL देरी/दंडात्मक ब्याज और चैक/ डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च का भुगतान करने के उत्तरदायी हैं।

इसलिए, मैं/हम ऋण के तहत मेरी/हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए FICCL को मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को अधिकृत करते हैं कि समय-समय पर ऐसी डेबिट राशि ले जिसमें देरी/दंडात्मक ब्याज, चेक/डायरेक्ट डेबिट बाउंस खर्च आदि शामिल हो; हालांकि परंतु, कि इस तरह की राशि के लिए डेबिट _____ रूप प्रति माह से अधिक नहीं होगी।"

मैं/हम आगे पुष्टि करते हैं कि यदि किसी भी महीने मेरे/हमारे ऊपर उल्लिखित खाते में धन की कमी की वजह से डायरेक्ट डेबिट अनुदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो मैं/हम FICCL को ऊपर दिए खाते में महीने के भुगतान होने तक मांग बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं। यह अधिदेश इस व्यवस्था को किसी भी समय बंद करने के लिए और FICCL को मेरे प्रस्तुत पोस्ट डेटेड चेक पर वापस लौटने के लिए FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है।

मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि अधूरी या गलत जानकारी के कारणों के लिए लेन-देन में देरी होती है या बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैंने/हमने विकल्प निमंत्रण पत्र पढ़ा है और योजना के तहत एक भागीदार के रूप में मेरी उम्मीद की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए सहमत है।

यह सूचित किया जाता है कि मैं/हम डायरेक्ट डेबिट सेवा के लिए पंजीकृत करते हैं और फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड में मेरे ऋण के प्रति मेरा भुगतान मेरे/हमारे आपके बैंक में ऊपर उल्लेख किए बैंक खाते से किया जाएगा। मैं/हम फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड और उनके अधिकृत प्रतिनिधि, एजेंट, सेवा प्रदाता को डायरेक्ट डेबिट निर्देश अधिदेश सत्यापित और निष्पादित करने के लिए अधिकृत करते हैं। मैं/हम भी बैंक को अधिदेश सत्यापन और लागू के रूप में "अपर्याप्त धन" के कारण हुए खर्च के लिए मेरे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

दिनांक: ग्राहक के हस्ताक्षर

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दिए विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं। हम पुष्टि करते हैं कि उक्त हस्ताक्षर हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हैं।

शाखा बैंक मोहर

बैंक से अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक :

कारपोरेट कार्यालय: फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, मंजिल 6, बी विंग, सुप्रीम आईटी पार्क, सुप्रीम सिटी, झील महल के पीछे, पवई मुंबई 400 076
पंजीकृत कार्यालय: मेघ टावर्स, 3 मंजिल, पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड, मदुरावोयाल, चेन्नई - 600095, तमिलनाडु।



बैंक कॉपी

संख्या

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट क्लीयरिंग)

प्रबन्धक

टेलिफोन नंबर:

उपयोगकर्ता कंपनी के लिए कॉपी

नाम: फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

पता:

मेघ टावर्स, तीसरी मंज़िल
पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड,
मदुरावोयाल
चेन्नई - 600095, तमिलनाडु

मैं/हम आपको नीचे दी गई जानकारी अनुसार ईसीएस (डेबिट) क्लियरिंग के माध्यम से फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (उपयोगकर्ता की कंपनी का नाम) को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

A. खाता धारक का नाम

B. बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या:
(बैंक द्वारा जारी किए गए MICR चेक पर प्रदर्शित):

C. खाते की किस्म
(एस.बी. खाता/चालू खाता या नकद क्रेडिट)

D. बही खाता संख्या/बही खाते के पन्ने की संख्या

E. खाता संख्या

F. आवेदन संदर्भ संख्या

स्कीम का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/द्वि मासिक/तिमाही/आ दि.)	किश्त की राशि/ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि	किश्तों की संख्या/दिनांक तक वैध

G. लागू होने की दिनांक:

से

मैं/हम फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") के ऋणी होते हुए मेरी/हमारी बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और बैंक को ईसीएस (डेबिट क्लीयरिंग) के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त राशियों के भुगतान के लिए डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं और बिना शर्त FICCL को नियमित भुगतानों पर तब तक डेबिट बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त की राशि में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा, किश्तों की चुकौती में देरी करने के कारण, मैं/हम विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि के लिए FICCL के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को मुझे/हमें ऋण के तहत जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि सहित ऐसी राशियों को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं; हालांकि बशर्ते, कि डेबिट की जाने वाली ऐसी राशि _____ रूप से प्रति माह से अधिक नहीं होगी।

मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि किसी महीने में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए खाते में धन की कमी के कारण ईसीएस अनुदेश न होने की स्थिति में, मैं/हम FICCL को उस महीने का भुगतान होने तक उक्त खाता संख्या पर मांग करने के लिए अधिकृत करते हैं।

इस व्यवस्था को बंद करने और FICCL को मेरे पोस्ट डेटेड चैक भेजने पर जोर देने के लिए यह आदेश किसी भी समय FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि लेन-देन में देरी होती है या अधूरी या गलत जानकारी के कारण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं मानूंगा।

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे
रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं

ग्राहक के हस्ताक्षर

(बैंक की
स्टाम्प)

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(नोट: 3 प्रतियाँ, बैंक के लिए असली, एक उपयोगकर्ता कंपनी के लिए और अन्य ग्राहक के लिए प्राप्त किया जाना आवश्यक है)



कार्यालय की कॉपी

संख्या

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट क्लियरिंग)

प्रबन्धक

टेलिफोन नंबर::

उपयोगकर्ता कंपनी के लिए कॉपी

नाम: फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

पता:

मेघ टावर्स, तीसरी मंज़िल
पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड,
मदुरावोयाल
चेन्नई - 600095, तमिलनाडु

मैं/हम आपको नीचे दी गई जानकारी अनुसार ईसीएस (डेबिट) क्लियरिंग के माध्यम से फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (उपयोगकर्ता की कंपनी का नाम) को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

A. खाता धारक का नाम

B. बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या:

(बैंक द्वारा जारी किए गए MICR चेक पर प्रदर्शित):

C. खाते की किस्म

(एस.बी. खाता/चालू खाता या नकद क्रेडिट)

D. बहीखाता संख्या/बहीखाते के पन्ने की संख्या

E. खाता संख्या

F. आवेदन संदर्भ संख्या

स्कीम का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/द्वि मासिक/तिमाही/आदि)	किश्त की राशि/ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि	किश्तों की संख्या/दिनांक तक वैध

G. लागू होने की दिनांक:

से

मैं/हम फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") के ऋणी होते हुए मेरी/हमारी बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और बैंक को ईसीएस (डेबिट क्लियरिंग) के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त राशियों के भुगतान के लिए डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं और बिना शर्त FICCL को नियमित भुगतानों पर तब तक डेबिट बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त की राशि में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा, किश्तों की चुकौती में देरी करने के कारण, मैं/हम विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि के लिए FICCL के प्रति

उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को मुझे/हमें ऋण के तहत जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि सहित ऐसी राशियों को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं; हालांकि बशर्ते, कि डेबिट की जाने वाली ऐसी राशि _____ रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगी।

मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि किसी महीने में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए खाते में धन की कमी के कारण ईसीएस अनुदेश न होने की स्थिति में, मैं/हम FICCL को उस महीने का भुगतान होने तक उक्त खाता संख्या पर मांग करने के लिए अधिकृत करते हैं।

इस व्यवस्था को बंद करने और FICCL को मेरे पोस्ट डेटेड चैक भेजने पर जोर देने के लिए यह आदेश किसी भी समय FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि लेन-देन में देरी होती है या अधूरी या गलत जानकारी के कारण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं मानूंगा।

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे
रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं

ग्राहक के हस्ताक्षर

(बैंक की
स्टाम्प)

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(नोट: 3 प्रतियाँ, बैंक के लिए असली, एक उपयोगकर्ता कंपनी के लिए और अन्य ग्राहक के लिए प्राप्त किया जाना आवश्यक है)



ग्राहक की कॉपी

संख्या

इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (डेबिट क्लियरिंग)

प्रबन्धक

टेलिफोन नंबर:

उपयोगकर्ता कंपनी के लिए कॉपी

नाम: फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

पता:

मेघ टावर्स, तीसरी मंज़िल
पुरानी संख्या 307, नई संख्या 165, पी.एच. रोड,
मदुरावोयाल
चेन्नई - 600095, तमिलनाडु

मैं/हम आपको नीचे दी गई जानकारी अनुसार ईसीएस (डेबिट) क्लियरिंग के माध्यम से फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (उपयोगकर्ता की कंपनी का नाम) को भुगतान करने के लिए मेरे/हमारे खाते से डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।

A. खाता धारक का नाम

B. बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या:

(बैंक द्वारा जारी किए गए MICR चेक पर प्रदर्शित):

C. खाते की किस्म

(एस.बी. खाता/चालू खाता या नकद क्रेडिट)

D. बहीखाता संख्या/बहीखाते के पन्ने की संख्या

E. खाता संख्या

F. आवेदन संदर्भ संख्या

स्कीम का नाम	लागू होने की दिनांक	आवधिकता (मासिक/द्वि मासिक/तिमाही/आ दि.)	किश्त की राशि/ऊपरी सीमा के साथ बिल की राशि	किश्तों की संख्या/दिनांक तक वैध

G. लागू होने की दिनांक:

से

मैं/हम फुलर्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") के ऋणी होते हुए मेरी/हमारी बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और बैंक को ईसीएस (डेबिट क्लियरिंग) के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की उक्त राशियों के भुगतान के लिए डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं और बिना शर्त FICCL को नियमित भुगतानों पर तब तक डेबिट बढ़ाने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण, उक्त किश्त की राशि में बदलाव आ सकता है। इसके अलावा, किश्तों की चुकौती में देरी करने के कारण, मैं/हम विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि के लिए FICCL के प्रति उत्तरदायी हैं। इसलिए मैं/हम बिना शर्त सहमति व्यक्त करते हैं और FICCL को मुझे/हमें ऋण के तहत जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर विलंबित/दंड योग्य ब्याज, चैक/ईसीएस (डेबिट) बाउंस शुल्क आदि सहित ऐसी राशियों को डेबिट करने के लिए अधिकृत करते हैं; हालांकि बशर्ते, कि डेबिट की जाने वाली ऐसी राशि _____ रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होगी।

मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि किसी महीने में मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किए खाते में धन की कमी के कारण ईसीएस अनुदेश न होने की स्थिति में, मैं/हम FICCL को उस महीने का भुगतान होने तक उक्त खाता संख्या पर मांग करने के लिए अधिकृत करते हैं।

इस व्यवस्था को बंद करने और FICCL को मेरे पोस्ट डेटेड चैक भेजने पर ज़ोर देने के लिए यह आदेश किसी भी समय FICCL के पूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता।

मैं/हम घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूरे हैं। यदि लेन-देन में देरी होती है या अधूरी या गलत जानकारी के कारण बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, तो मैं/हम उपयोगकर्ता संस्था को जिम्मेदार नहीं मानूंगा।

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण हमारे
रिकॉर्ड के अनुसार सही हैं

ग्राहक के हस्ताक्षर

(बैंक की
स्टाम्प)

बैंक के अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(नोट: 3 प्रतियाँ, बैंक के लिए असली, एक उपयोगकर्ता कंपनी के लिए और अन्य ग्राहक के लिए प्राप्त किया जाना आवश्यक है)

चैक प्रस्तुती फार्म

महत्वपूर्ण निर्देश:

- चैक केवल खाता आदाता के लिए बना होना चाहिए।
- चैक केवल 'फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड' के पक्ष में तैयार किया जाना चाहिए।
- कृपया सुनिश्चित करें कि सभी सुधार प्रतिहस्ताक्षरित हैं और शब्दों में और आंकड़े के अनुसार राशि एक समान है।
- ईएमआई चैक आपके चुकोती अनुसूची के अनुसार दिनांकित हों।

ग्राहक का विवरण

आवेदन संख्या.: _____

ऋणी का नाम: _____

लेन संख्या.: _____

क्र मां क	चैक संख्या		चैक की संख्या	चैक की दिनांक		बैंक और शाखा	प्रयोजन (ईएमआई/पीएफ/सुरक्षा पीडीसी/एएफ/पीईएमआई आदि)	प्रत्येक चैक की राशि
	से	तक		से	तक			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

में घोषणा करता हूं कि मैंने उक्त के अलावा कोई अन्य चेक नहीं दिया है और सभी चेक "फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के पक्ष में तैयार किए हैं"

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

द्वारा प्राप्त

FICCL के प्रतिनिधि का नाम: _____

कार्यकारिणी के हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

स्वामित्व फर्म के लिए लागू
स्वामित्व फर्म के लेटर हेड पर मुद्रित किया जाना चाहिए

स्वामित्व प्राधिकार पत्र

दिनांक:

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

.....
.....

श्रीमान,

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (बाद में "FICCL" कहा जाता है) द्वारा एम/एस ("फर्म") को
रूप(केवल) रूप) तक मंजूर हुई/मंजूर होने वाली ऋण सुविधाओं से संबंधित है।

मैं अभिपुष्ट करता हूँ कि मैं फर्म के नाम और शैली के तहत अब आयोजित हुए और/या आयोजित होने वाले व्यापार का एकमात्र मालिक हूँ और मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मैं, मेरे या मेरे द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सभी तरह के व्यापार संचालन के लिए व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से जिम्मेदार हूँगा और ऐसा जारी रहेगा उसी हद तक के रूप में जैसे कि व्यापार को मेरे खुद के नाम के तहत संचालित और आयोजित किया गया है।

मैं वचन देता हूँ कि मैं फर्म की रचना में मेरे द्वारा, मेरे व्यापार में एक भागीदार लेने से, इसकी बिक्री या निपटान या फर्म में मेरी रुचि समाप्त होने के बारे में किसी भी परिवर्तन के बारे में लिखित में सलाह दूंगा। यदि मैं ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में आप के लिए सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होना जारी रहूंगा, जब तक इस तरह के सभी दायित्व ऋणमुक्त करना जाएगा या समाप्त न हो जाएँ।

.....
मालिक के हस्ताक्षर

मालिक का नाम:

स्वामित्व फर्म नाम:

पता :
.....
.....

**भागीदारी फर्म के लिए लागू
भागीदारी फर्म के लेटरहेड पर मुद्रित किया जाना चाहिए**

भागीदारी प्राधिकार पत्र

दिनांक:

सेवा में,

फुल्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

.....
.....
.....

श्रीमान,

हम, अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि हम एम/एस एक भागीदारी फर्म ("फर्म") के भागीदार/सदस्य हैं और सामूहिक रूप से इसकी की शैली के नाम पर व्यापार चला रहे हैं। We further declare that:

1. फर्म फुल्टन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") से रूप का ऋण/क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत है।

2. कि फर्म FICCL को इसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए ऋण/क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में FICCL द्वारा आवश्यक इस तरह की सिक्यूरिटी प्रदान नहीं करती है।

3. कि फर्म FICCL द्वारा प्रदान किए ऋण/क्रेडिट सुविधा के साथ-साथ ब्याज फीस, लागत, शुल्क और खर्चों और FICCL को देय अन्य राशियों पर बकाया चुकौती सुरक्षित करने के लिए कंपनी की संपत्ति पर सिक्यूरिटी के रूप में FICCL के पक्ष में एक बंधक/उपप्राधीयन/धारणाधिकार बनाने के लिए अधिकृत है

4. श्रीमान/श्रीमति और फर्म के भागीदार संयुक्त रूप से और/या पृथक (कोई भी) इसके लिए अधिकृत होते हैं:

- फर्म और FICCL के बीच हुए ऋण समझौते के नियमों और शर्तों और ऋण से संबंधित सभी दस्तावेजों पर सौदेबाजी, निर्णय लेने, बदलने/संशोधित करने;
- ऐसी सिक्यूरिटी बनाना जो गिरवी, गहन, बंधक, दृष्टि बंधक और ग्रहणाधिकार के लिए आवश्यक हो सकती है;
- साइन इन करना और उक्त ऋण के संबंध में फर्म की ओर से FICCL द्वारा ऋण समझौता, सिक्यूरिटी समझौता, वचनपत्र, निरंतरता का पत्र, क्षतिपूर्ति, गारंटी और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करना;
- सभी कृत्य, कर्म, चीजें करना और फंड पर आधारित और फंड पर आधारित न होने वाली सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए और FICCL के पक्ष में सिक्यूरिटी प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों, लेखनों, घोषणाओं और वचन का उपयोग करना। उक्त श्रीमान/श्रीमती..... और श्रीमान/श्रीमती..... द्वारा किए और उपयोग किए सभी कृत्य, कर्म, मामले और चीजें हमारे और फर्म पर पूरी तरह प्रवर्तनीय और बाध्यकारी होंगे।

हम भागीदार, FICCL के प्रति फर्म की सभी देनदारियों के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे। FICCL फर्म के किसी या सभी भागीदारों के सभी की संपत्ति से अपने दावे की वसूली कर सकती है। उक्त अनुसार हमारा दायित्व फर्म के गठन में बदलाव और/या उसके उत्तराधिकारियों के विघटन के बावजूद जारी रहेगा।

जब भी भागीदारी फर्म में कोई परिवर्तन होता है, तो हम FICCL को इसके बारे में लिखित रूप में सूचित करने का वचन देते हैं और FICCL के प्रति हमारा व्यक्तिगत दायित्व उक्त ऋण के तहत सभी बकाया राशियों के पूरे भुगतान तक जारी रहता है और हम FICCL से ऋण मुक्ति की रसीद प्राप्त करते हैं।

धन्यवाद

भागीदार का नाम	हस्ताक्षर

कंपनी के लिए मसौदा प्रस्ताव

प्रस्ताव ऋणी के लेटरहेड पर होना चाहिए और सुरक्षा और सुविधा के अनुसार संशोधन होना चाहिए

..... में पर आयोजित प्रस्ताव ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा अपनी बैठक में पारित प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।

अध्यक्ष ने बोर्ड को सूचित किया है कि कंपनी के अनुरोध पर, फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL") सुरक्षित अवधि के ऋण के माध्यम से और FICCL द्वारा अपेक्षित नियम और शर्तों के अधीन कंपनी को रु. _____ (_____ रूपए) की कुल राशि क्रेडिट सुवोधएं प्रदान करने पर विचार कर रही है। अध्यक्ष ने ऋण सुविधा के मुख्य नियम और शर्तों के बारे में बोर्ड को जानकारी दी है।

बोर्ड ने इस मामले पर विचार किया था और विचार-विमर्श के बाद निम्न संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया है:

"हल है कि कंपनी फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड से FICCL द्वारा निर्धारित नियम और शर्तों अनुसार और निम्न प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित किए जाने पर सुरक्षित अवधि के रूप में _____ /-रूपए (केवल _____ रूपए) की अधिकतम मूल राशि ("ऋण सुविधाएं"), ऋण सुविधाओं को लेने के लिए अधिकृत कर सकती है:

1. मांग वचन पत्र
2. FICCL को स्वीकार्य रूप और तरीके से _____ और/या कंपनी के स्वामित्व वाली _____ में स्थित अचल संपत्तियों को गिरवी रखना।
3. _____ की व्यक्तिगत/कॉरपोरेट गारंटी

और इस तरह की अन्य प्रतिभूतियां जो मंजूरी/सुविधा, पत्र में वर्णित है और FICCL के पक्ष में प्रस्तुत /बनाई प्रतिभूति है, लागू कानूनों और नियमों के अधीन है।

"आगे विचार किया गया है कि कंपनी के श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____, व्यक्तिगत रूप से निम्न के लिए अधिकृत कर रहे हैं:

- i) उक्त ऋण/ऋण सुविधाओं के नियमों और शर्तों को बातचीत करने, अंतिम रूप देने, भिन्नता / संशोधित करने और लागू करने के लिए;
- ii) आवश्यक के रूप में FICCL के पक्ष में इस तरह की सुरक्षा बनाने के लिए, FICCL को स्वीकार्य रूप और तरीके में कंपनी की चल-अचल संपत्ति को बंधक, गिरवी, धारणाधिकार करना शामिल है लेकिन सीमित नहीं है;
- iii) FICCL द्वारा आवश्यक ऋण/सुविधा समझौता, सुरक्षा समझौता, गिरवी दस्तावेजों, वचनपत्र, निरंतरता के पत्र, क्षतिपूर्ति, गारंटी और अन्य दस्तावेजों को FICCL को स्वीकार्य रूप और तरीके से कंपनी की ओर उक्त ऋण/ऋण सुविधाओं के संबंध में हस्ताक्षर और निष्पादित करना;
- iv) सभी कार्य, डीड, मामलों, चीजों को करें और दस्तावेजों, लेखन, घोषणा को निष्पादित करना और वचन देना ऐसी ऋण/ऋण सुविधाओं का लाभ लेने और FICCL के पक्ष में सुरक्षा को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकता है। सभी कार्य, डीड, मामले और चीजें जो श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____, श्री/श्रीमती _____, द्वारा की गईं और निष्पादित की गईं हैं जो कंपनी पर बाध्यकारी होंगी।"

"हल यह भी है कि कंपनी _____ पर स्थित संपत्तियों पर बंधक बनाने/शुल्क लगाने के लिए FICCL द्वारा कंपनी को उपलब्ध करवाई क्रेडिट सुविधाओं के साथ ब्याज, लागत और क्रेडिट सुविधाओं के तहत बकाया सभी राशियों की चुकौती की सिक्यूरिटी के लिए श्री/श्रीमती _____ और श्री/श्रीमती _____ को अनुरोध करती है।"

"आगे विचार किया गया है कि कंपनी अनुरोध कर सकती है:

- (a) _____
- (b) _____

कंपनी द्वारा FICCL से ली गई प्रस्तावित क्रेडिट सुविधाएं ऋण चुकौती को सुरक्षित करने के लिए FICCL के पक्ष में अपनी गारंटी प्रदान करना, जिसमें ब्याज, लागत और अन्य सभी राशियों जो ऋण सुविधाओं के तहत बकाया शामिल हो सकता है।"

"आगे संकल्प है कि पूर्वगामी प्रस्तावों की एक प्रमाणित प्रति एक अनुरोध के बाद FICCL को प्रस्तुत की जाए।"

_____ केलिए

कंपनी सचिव/निदेशक

दिनांक _____ को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित आम बैठक में कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव

विशेष प्रस्ताव:

"हल यह है कि कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(c) के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, या किसी अन्य कानून के तत्समय लागू होने (लागू होने के समय में किसी भी वैधानिक सुधार या संशोधन या पुनःव्यवस्था सहित) और कंपनी की एसोसिएशन में अनुच्छेदों के मामले में, कंपनी कंपनी के बैंकरों और/या किसी भी एक या एक से अधिक व्यक्तियों, फर्मों, कॉर्पोरेट निकायों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों या अन्य स्वीकार्य स्रोत से समय-समय पर कोई राशि उधार लेने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे बाद में "बोर्ड" कहा जाता है जिसमें शाब्दिक अनुसार ऐसी समिति शामिल हो सकती है जिसमें इस उद्देश्य के लिए बोर्ड का गठन किया गया है) की सहमती को स्वीकार करती है, चाहे उधार, जमा, ऋण, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, बॉन्ड या अन्य और चाहे कंपनी द्वारा ली गई राशि (व्यापार के सामान्य चलन में कंपनी के बैंकर द्वारा लिए गए अस्थायी ऋण के अलावा) के साथ मांग की जाने वाली राशि के बावजूद सुरक्षित हो या असुरक्षित हो, कंपनी द्वारा दी गई कुल पूंजी और इसकी आरक्षित पूंजी से अधिक होगी या हो सकती है, जिसका अर्थ है, आरक्षित पूंजी किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अलग से निर्धारित नहीं की जाती परन्तु, इसलिए फिर भी, कुल राशि तक जो निदेशक मंडल द्वारा ली जा सकती है और बकाया राशि एक समय पर _____ रु. (_____ रुपए) से अधिक नहीं होगी।"

"हल यह भी है कि कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(c) के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, या किसी अन्य कानून के तत्समय लागू होने (लागू होने के समय में किसी भी वैधानिक सुधार या संशोधन या पुनःव्यवस्था सहित) और कंपनी की एसोसिएशन में अनुच्छेदों के मामले में, सदस्यों की सहमति गिरवी/ कंपनी की वर्तमान और भविष्य दोनों की स्थिर या अस्थिर संपत्ति पर पूरी या कुछ शुल्क और ऐसे नियमों और शर्तों पर कंपनी के पूरे या कुछ वचनों के अनुरूप होती है, जैसे कि मांग की गई राशि/ऋण की सुरक्षा के लिए बोर्ड और ऋणदाता के बीच तय हुआ है, जो कि व्यापार के सामान्य चलन में दी गई पूंजी और आरक्षित पूंजी से अधिक हो सकती है परन्तु एक समय पर रु. _____ (_____ रुपए) से अधिक नहीं हो सकती।"

"हल यह भी है कि उपरोक्त प्रस्तावों के उद्देश्य के लिए, बोर्ड अपने विवेक से उचित, फिट, आवश्यक या वांछनीय समझने और उक्त ऋण के संबंध मान उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई, शक दूर करने के लिए ऐसे कृत्य, कर्म और चीजें करने के लिए और इसके अलावा इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक, उचित, वांछनीय या योग्य होने पर ऐसे कृत्य, कर्म और चीजें करने के लिए और सभी दस्तावेजों और लेखनों का उपयोग करने के लिए अधिकृत होता है।"

सही होने के लिए प्रमाणित.

(प्रबंधकीय निर्देशक/कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

दिनांक: _____

// उधार लेने वाली कंपनी के लेटरहेड पर//

दिनांक:

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

श्रीमान,

हमें उधार/मंजूर की गई क्रेडिट सुविधाएं.

हम पुष्टि करते हैं कि अस्थायी ऋण (ऋण की दिनांक से मांग पर ऋण प्रतिदेय या 6 महीने के भीतर) को छोड़कर सभी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से उधार और/या मंजूर ऋण सुविधाओं का कुल, फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड कंपनी द्वारा उधार हुई और/या उधार और/या मंजूर होने वाली ऋण सुविधाओं के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत एक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अधिकृत अधिकतम सीमा के भीतर हैं।

_____ के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव

वाहन का समर्पण पत्र

दिनांक:

सेवा में,

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड.

श्रीमान,

विषय: पंजीकरण संख्या.....वाले वाहन/उपकरण का समर्पण

संदर्भ: ऋण खाता संख्या._____

मैंने / हमने फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक _____ को एक ऋण सह दृष्टि बंधन करार ("ऋण समझौता") किया और ऊपर उल्लेख ऋण समझौते के तहत _____ (मॉडल) बेअरिंग इंजन संख्या, _____ चेसिस संख्या, _____ (उक्त वाहन) बेअरिंग रजिस्ट्रेशन संख्या वाला वाहन गिरवी रखकर ऋण लिया है।

जैसा कि मैं/हम ऋण समझौता के तहत मेरे/हमारे दायित्व की पालना करने और ऋण किस्त और अन्य देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ हूँ, मैं/हम मेरे/हमारे पूरे जोखिम और खर्च पर आप को उक्त वाहन/उपकरण का भौतिक कब्जे का समर्पण करते हैं। मैं/हम एतद्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस तरह के समर्पण ऋण किस्त के बकाया, ऋण समझौते के तहत ऋण किस्त में देरी में अतिरिक्त ब्याज/क्षतिपूर्ति भुगतान या ब्याज के साथ बकाया राशि के आपके दावे को या कार्रवाई के द्वारा या अन्यथा के द्वारा इस तरह के दावे को लागू करने के लिए प्रभावित या हानि नहीं करेगा।

मैं/हम अपनी मर्जी पर और किसी भी दबाव के बिना उक्त वाहन/उपकरण का आप को समर्पण करते हैं और मैं/हम उसके संबंध में आप के खिलाफ कोई दावा नहीं करते हैं। मैं/हम ऋण समझौता के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए आप के द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके के अनुसार मेरे/हमारे वाहन/उपकरण का बिक्री/निपटान के लिए सहमति देते हैं। अभी भी ऋण समझौता के तहत शेष किसी भी घाटे के मामले में, मैं/हम आप द्वारा मांग करने पर घाटे को पूरा करने का वचन देते हैं।

मैं/हम इससे भी विशेष रूप से सहमत हूँ और पूरी तरह से संबंधित आरटीओ को उसके द्वारा मेरे नाम में जारी वाहन/उपकरण के पंजीकृत स्वामी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए तत्काल प्रभाव से सहमति देते हैं और मैं/हम एतद्वारा सेवा छोड़ते हैं। मैं/हम एतद्वारा इससे भी सहमत हूँ और पुष्टि करते हैं कि आप अपने विवेक के आधार पर अपने नाम या अपने उम्मीदवार के नाम पर वाहन/उपकरण को बेचने और वाहन/उपकरण के पंजीकरण प्रमाणपत्र को हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र हूँ।

मैं/हम इसकी भी एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त वाहन/उपकरण का मेरा समर्पण मैं/हम ऋण समझौते के तहत मेरी/हमारी देनदारियों में से किसी से भी दोषमुक्त नहीं हो रहा हूँ और मैं/हम इसके द्वारा आप को क्षतिपूर्ति हानिरहित बचाव रखने के लिए सहमत हूँ और आप के खिलाफ लगाए जाने वाले सभी दावों कार्यों या खर्चों से बचाव के लिए सहमत हूँ।

धन्यवाद,

आपका आभारी,

ऋणी का नाम और पता

ऋणी के हस्ताक्षर

वाहन का समर्पण पत्र

दिनांक:

सेवा में,

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड.

श्रीमान,

विषय: पंजीकरण संख्या.....वाले वाहन/उपकरण का समर्पण

संदर्भ: ऋण खाता संख्या. _____

मैंने / हमने फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड के साथ दिनांक _____ को एक ऋण सह दृष्टिबंधक समझौता ("ऋण समझौता") किया और ऊपर उल्लेख ऋण समझौते के तहत _____ (मॉडल) बेअरिंग इंजन संख्या, _____ चैसिस संख्या, _____ (उक्त वाहन) बेअरिंग रजिस्ट्रेशन संख्या वाला वाहन गिरवी रखकर ऋण लिया है।

जैसा कि मैं/हम ऋण समझौता के तहत मेरे/हमारे दायित्व की पालना करने और ऋण किस्त और अन्य देय राशि का भुगतान करने में असमर्थ हूँ, मैं/हम मेरे/हमारे पूरे जोखिम और खर्च पर आप को उक्त वाहन/उपकरण का भौतिक कब्जे का समर्पण करते हैं। मैं/हम एतद्वारा इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस तरह के समर्पण ऋण किस्त के बकाया, ऋण समझौते के तहत ऋण किस्त में देरी में अतिरिक्त ब्याज/क्षतिपूर्ति भुगतान या ब्याज के साथ बकाया राशि के आपके दावे को या कार्रवाई के द्वारा या अन्यथा के द्वारा इस तरह के दावे को लागू करने के लिए प्रभावित या हानि नहीं करेगा।

मैं/हम अपनी मर्जी पर और किसी भी दबाव के बिना उक्त वाहन/उपकरण का आप को समर्पण करते हैं और मैं/हम उसके संबंध में आप के खिलाफ कोई दावा नहीं करते हैं। मैं/हम ऋण समझौता के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए आप के द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके के अनुसार मेरे/हमारे वाहन/उपकरण का बिक्री/निपटान के लिए सहमति देते हैं। अभी भी ऋण समझौता के तहत शेष किसी भी घाटे के मामले में, मैं/हम आप द्वारा मांग करने पर घाटे को पूरा करने का वचन देते हैं।

मैं/हम इससे भी विशेष रूप से सहमत हूँ और पूरी तरह से संबंधित आरटीओ को उसके द्वारा मेरे नाम में जारी वाहन/उपकरण के पंजीकृत स्वामी के रूप में पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए तत्काल प्रभाव से सहमति देते हैं और मैं/हम एतद्वारा सेवा छोड़ते हैं। मैं/हम एतद्वारा इससे भी सहमत हूँ और पुष्टि करते हैं कि आप अपने विवेक के आधार पर अपने नाम या अपने उम्मीदवार के नाम पर वाहन/उपकरण को बेचने और वाहन/उपकरण के पंजीकरण प्रमाणपत्र को हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र हूँ।

मैं/हम इसकी भी एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त वाहन/उपकरण का मेरा समर्पण मैं/हम ऋण समझौते के तहत मेरी/हमारी देनदारियों में से किसी से भी दोषमुक्त नहीं हो रहा हूँ और मैं/हम इसके द्वारा आप को क्षतिपूर्ति हानिरहित बचाव रखने के लिए सहमत हूँ और आप के खिलाफ लगाए जाने वाले सभी दावों कार्यों या खर्चों से बचाव के लिए सहमत हूँ।

धन्यवाद,

आपका आभारी,

ऋणी का नाम और पता

ऋणी के हस्ताक्षर

ऋणी के लेटरहेड पर
ऋणी से उपकरण के विवरण का खुलासा करने वाला पत्र

दिनांक:

प्रबंधक

फुलरटन इंडिया कंपनी लिमिटेड

.....
.....
.....

विषय: ऋण खाता संख्या. _____

श्रीमान,

उक्त उल्लेखित ऋण खाते के संबंध में, मैं/हम एतद्वारा आपकी कंपनी से लिए गए ऋण से खरीदी गए उपकरण का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं।

पंजीकरण संख्या

इंजन संख्या

चेसिस संख्या.

क्रमांक संख्या.

निर्मिति

मॉडल

मैं/हम आपके रिकॉर्ड प्रयोजनों के लिए उक्त उपकरण के संबंध में पंजीकरण प्रमाण पत्र, चालान, बीमा पॉलिसी की प्रतियां और कर रसीदों को संलग्न करते हैं। मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार विषयगत उपकरण के संबंध में पालनायोग आवश्यक औपचारिकताओं का पूरी तरह से पालन किया गया है। मैं/हम इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि उक्त उपकरणों की खरीद के लिए हमारे द्वारा लिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए उक्त उपकरण आपके पक्ष में गिरवी रखते हैं।

आपका आभारी

.....

(ऋणी के हस्ताक्षर)

नाम:

पता:.....

संलग्नक: 1.

2.

यदि ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर अनपढ़ है या स्थानीय भाषा में दस्तावेजों ऋण कार्यान्वित करने या अंधा होने की स्थिति में घोषणा

दिनांक _____

फुलरटन भारत क्रेडिट कंपनी लिमिटेड ("FICCL")

श्रीमान,

विषय: _____ /- रूपर का _____ ऋण, ब्याज दर _____ % प्रति वर्ष, अवधि _____ महीने

मैं/हमदिनांकित ऋण समझौते पर संदर्भित करते हैं जिसमें मुझे/हमें FICCL द्वारा ऋण समझौते की नियमों और शर्तों के अनुसार इस ऋण/सुविधा की मंजूरी दी गई है।

मैं/हम घोषणा और पुष्टि करते हैं कि जैसे कि मैं/हम अंग्रेजी, उक्त ऋण समझौते के सभी नियम और शर्तों, वचनपत्र, गारंटी के पत्र, सुरक्षा दस्तावेजों, घोषणाओं और उपक्रमों में और FICCL द्वारा अपेक्षित अन्य सभी ऋण दस्तावेजों के लिए **अनपढ़/अशिक्षित हैं, और इस पत्र की घोषणाओं और पुष्टियों को मुझे/हमें *** श्री _____ द्वारा _____ भाषा में पढ़कर सुनाया और समझाया गया है और मैंने/हमने उक्त दस्तावेजों को उल्लेखित नियम और शर्तों को अच्छी तरह समझ कर उन्हें निष्पादित किया है।

मैं/हम इसकी भी घोषणा और पुष्टि करते हैं कि ऋण के तहत सभी देनदारियों के भुगतान होने तक FICCL द्वारा ऋण सुविधा, प्रतिभूति दस्तावेजों और अन्य सभी दस्तावेजों के नियम और शर्त हम पर बाध्यकारी होंगे।

**अनुपयोगी शब्दों को हटाएं

***FICCL's कर्मचारी/चैनल साथी

ऋणी का नाम और हस्ताक्षर या
दाएं/बाएं अंगूठे का निशान

सह-ऋणी का नाम और हस्ताक्षर या
दाएं/बाएं अंगूठे का निशान

नाम और हस्ताक्षर

(फुलरटन कर्मचारी/चैनल साथी जिन्होंने ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर को सभी ऋण दस्तावेजों की शर्तों के बारे में बताया है)